Fifteenth Lok Sabha
VIII Session (01/08/2011 to 08/09/2011)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 1 अगस्त, 2011/10 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 159

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजायी गयी।

2. शपथ

श्री अजय कुमार, झारखण्ड के जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने हिन्दी में शपथ ली, सदस्य नामावली पर हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

3. मंत्रियों का परिचय

प्रधानमंत्री ने श्री वी॰ किशोर चंद्र देव, जनजातीय कार्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री; श्री बेनी प्रसाद वर्मा, इस्पात मंत्री; श्री दिनेश त्रिवेदी, रेल मंत्री; श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री; श्रीमती जयंती नटराजन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री पवन सिंह घाटोवार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री सुदीप बंधोपध्याय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री चरण दास महंत, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री; श्री जितेन्द्र सिंह, गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री; श्री मिलिन्द देवरा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री; और श्री राजीव शुक्ला, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

4. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री भजन लाल, वर्तमान लोक सभा के सदस्य और नौवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री धर्माभिक्षम, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री श्रीबात्चा डीगल, छठी लोक सभा के सदस्य; प्रो॰ श्रीपाल सिंह यादव, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य; श्री एल॰एस॰ तूर, सातवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री चतुरानन मिश्र, ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य, के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने किंगडम ऑफ नार्वे में ओस्लो और आईलैण्ड ऑफ ओटोया में दो हमलों के बारे में उल्लेख किया जिनमें 76 लोग मारे गए और 96 लोग घायल हुए।

उन्होंने 13 जुलाई, 2011 को मुम्बई के सर्वाधिक भीड़-भाड़ वाले इलाकों में एक कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के बारे में भी उल्लेख किया, जहां तीन बम विस्फोट हुए जिनमें 25 लोगों की मृत्यु होने और लगभग 100 लोगों के घायल होने की सूचना है।

अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के काशीराम नगर में 7 जुलाई, 2011 को थानागांव, पटियाली में एक बस और मथुरा-छपरा एक्सप्रेस ट्रेन के बीच हुई टक्कर में 38 लोगों जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, की मृत्यु होने और 29 लोगों के घायल होने; उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मालवां के निकट 10 जुलाई, 2011 को कालका मेल के पटरी से उतरने के कारण 80 लोगों की मृत्यु होने और 200 लोगों के घायल होने और उसी दिन असम के नलबाड़ी में रंगीया और घाघरापार स्टेशनों के बीच गुवाहाटी-पुरी एक्सप्रेस के इंजन और चार डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण हुए अन्य दुखद रेल हादसे में 200 लोगों के घायल होने के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने पश्चिम बंगाल के मालदा में 31 जुलाई, 2011 को बाखरपुर में पटरी से उतरी हुई गुवाहाटी-बंगलौर एक्सप्रेस ट्रेन से अजीमगंज मालदा पैसेंजर ट्रेन के टकराने के कारण 3 लोगों की मृत्यु होने और 50 से अधिक लोगों के घायल होने के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े रहे और सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

5. प्रश्न

निधन संबंधी उल्लेख के बाद सभा के स्थगित होने के कारण तारांकित प्रश्नों को सभा में मौखिक उत्तरों के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न

संख्या 1–20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1–230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाऐंगे।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 2 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—714LS(S3)—01-08-2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 2 अगस्त, 2011/11 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 160

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ

श्री दिनेश कश्यप, छत्तीसगढ़ के बस्तर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, ने हिन्दी में शपथ ली, सदस्य नामावली पर हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री राम चन्द्र विकल, पांचवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री इन्द्रजीत नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े रहे।

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.11 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 22—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या इ॰पी॰1(5)/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 2011 जो 6 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 305(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2011 जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 346(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2011 जो 4 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 297(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति तथा सेवा की निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 6 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 364(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 2010 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 579(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 2011 जो 12 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 385(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 909 (अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मई, 2011 को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 349(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) 10 मई, 2011 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का संख्यांक 1)।

(दो) 20 जून, 2011 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम अध्यादेश, 2011 (2011 का संख्यांक 2)।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय बीज निगम लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. विधेयकों पर अनुमति

(1) महासचिव ने 22 फरवरी, 2011 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के सातवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 5 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

1. *विनियोग (रेल) विधेयक,* 2011;
2. *विनियोग (रेल) संख्यांक* 2 विधेयक, 2011;
3. *विनियोग विधेयक,* 2011;
4. *विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक,* 2011; *और*
5. *वित्त विधेयक,* 2011

(2) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखी:—

1. *राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) विधेयक,* 2011;
2. *बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक,* 2011; *और*
3. *भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक,* 2011

7. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्त सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में तैंतीसवां प्रतिवेदन*।

---

* तैंतीसवें से लेकर अड़तीसवां प्रतिवेदन, माननीय अध्यक्ष को 30 जून, 2011 को प्रस्तुत किए गए थे तथा सैंतीसवां प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को निदेश 71क के अंतर्गत 11 जुलाई, 2011 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का सहर्ष आदेश दिया।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में चौंतीसवां प्रतिवेदन*।

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में पैंतीसवां प्रतिवेदन*।

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में छत्तीसवां प्रतिवेदन*।

(5) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सैंतीसवां प्रतिवेदन*।

(6) 'कर निर्धारण/छूट तथा आईपीएल/बीसीसीआई से संबंधित अन्य मामले' विषय पर अड़तीसवां प्रतिवेदन*।

8. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री नवीन जिन्दल ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी एक सौ उनचासवां प्रतिवेदन।

(2) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 144वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी एक सौ पचासवां प्रतिवेदन।

(3) आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में एक सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन।

---

* तैंतीसवें से लेकर अड़तीसवां प्रतिवेदन, माननीय अध्यक्ष को 30 जून, 2011 को प्रस्तुत किए गए थे तथा सैंतीसवां प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को निदेश 71क के अंतर्गत 11 जुलाई, 2011 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का सहर्ष आदेश दिया।

** प्रतिवेदन माननीय सभापति, राज्य सभा को 2 जून, 2011 को प्रस्तुत किए गए थे तथा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन अग्रेषित किए गए थे।

9. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य

श्री नवीन जिन्दल ने आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में विभाग से सम्बद्ध गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य* सभा पटल पर रखा।

10. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नू' ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010 के बारे में दो सौ छत्तीसवां प्रतिवेदन**।

(2) विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन का विनियम) विधेयक, 2010 के बारे में दो सौ सैंतीसवां प्रतिवेदन।

11. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य

डा॰ विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नू' ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों की प्रतियां सभा पटल पर रखी:—

(1) तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010; और

(2) विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन का विनियम) विधेयक, 2010।

12. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री इज्यराज सिंह ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित उत्तर-पूर्व हस्तशिल्प और हस्तकरघा विकास निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में 223वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में 224वां प्रतिवेदन***।

---

* आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में साक्ष्य माननीय सभापति, राज्य सभा को 2 जून, 2011 को प्रस्तुत किया गया था तथा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन अग्रेषित किया गया था।

** प्रतिवेदन माननीय सभापति, राज्य सभा को 30 मई, 2011 को प्रस्तुत किया गया था तथा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन अग्रेषित किया गया था।

***प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति द्वारा निदेश के निदेश 3(1) के अंतर्गत माननीय सभापति, राज्य सभा को 27 मई, 2011 को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन की एक प्रति माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को 30 मई, 2011 को अग्रेषित की गई थी।

13. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

14. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2011

15. अध्यादेश संबंधी विवरण—सभा पटल पर रखा गया

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का संख्यांक 1) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.05 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखंड में चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री एम॰के॰ राघवन द्वारा केरल में कालीकट रेलवे स्टेशन का एक विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री पी॰टी॰ थॉमस द्वारा राजसहायता प्राप्त एलपीजी सिलेंडर की वर्तमान योजना को जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा मदुरई और कन्याकुमारी खण्ड के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के ठहराव तमिलनाडु के तिरूनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नंगुरनेरी, वल्लीयूर और पानागुड़ी रेलवे स्टेशनों पर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए एक समय-सीमा नियत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री कोडीकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के मवेलीकारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कल्लूमाला और बुथा जंक्शन के बीच समपार पर रेल ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री विलास बी॰ मुत्तेमवार द्वारा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल के विषाक्त खतरनाक अपशिष्ट का नागपुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर संभावित पर्यावरण संबंधी कुप्रभाव को देखते हुए इसका निपटान डीआरडीओ संयंत्र, नागपुर में करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा सम्बलपुर, उड़ीसा में चावल, सब्जियों और मौसमी फलों की खरीद और भण्डारण के लिए उच्च तकनीकी टर्मिनल मंडी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजनाओं पर कार्य आरंभ करने और रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात में कैरोसिन का कोटा बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. डा॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के नवादा जिले में रजौली में परमाणु बिजली स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री हरिन पाठक द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गुजरात से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा देश में जाति आधारित गणना में अन्य पिछड़े वर्गों का पृथक आंकड़ा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालन्दा में बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर बेहतर यात्री सुविधाएं देने और बिहार शरीफ से चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 12392/12391 में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री एम॰बी॰ राजेश द्वारा दक्षिणी रेलवे में संविदा आधार पर कार्यरत कामगारों को पर्याप्त मजदूरी देने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समुचित विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री भाऊसाहेब वाकचौरे द्वारा देश में मोबाइल ऑपरेटरों की ग्राहक सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री मोदुगुला वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा राष्ट्रीय कृषि उत्पादन नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री जोस के॰ मणि द्वारा देश में प्राकृतिक रबड़ का आयात करने के निर्णय की समीक्षा करने और उसे प्रतिसंहृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

17. मंत्री द्वारा वक्तव्य

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने राष्ट्रमंडल खेल (सीडब्ल्यूजी), 2010 के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

(लोक सभा बुधवार, 3 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—756LS(S3)—02-08-2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 3 अगस्त, 2011/12 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 161

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41—45 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 46—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल कमीशन फॉर माइनारिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर माइनारिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कमीशन फॉर माइनारिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स, नई दिल्ली की वर्ष 2009-2010 की सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 31 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा°का°नि° 58(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) नियोजकों द्वारा भविष्य निधि के लिए अभिदाय में त्रुटि के बारे में श्री एच° महादेवन, महासचिव, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस से प्राप्त तथा श्री गुरुदास दासगुप्त, संसद सदस्य लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स (आरसीएफ) लिमिटेड की परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए नौकरियों का प्रावधान किए जाने के बारे में श्री जयंत प्रभाकर पाटील तथा अन्य लोगों से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति (15वीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी° करूणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

---

*उपर्युक्त प्रतिवेदन, अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 21 जुलाई, 2011 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उपर्युक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का सहर्ष आदेश दिया।

6. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सतपाल महाराज ने रक्षा मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें 2011-12' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली ने 'पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2011-12)' के बारे में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एम॰ कृष्णास्वामी ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान मशीन्स टूल्स लिमिटेड के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में दो सौ पच्चीसवां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित समझौता ज्ञापन प्रणाली के कार्यकरण के अध्ययन के बारे में दो सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन।

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का 27वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.03 बजे

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेश मंत्री ने ''पाकिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे'' के बारे में एक वक्तव्य दिया।

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एम॰आई॰ शानवास द्वारा प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण निषिद्ध करने के वर्तमान कानून को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रिफाइनरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एंटो एंटोनी द्वारा देश में नर्स कल्याण बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लोगों को चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संपर्क सड़कों और संबंधित अवसंरचना के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री मानिक टैगोर द्वारा तमिलनाडु के मदुरै जिले में मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण करने के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री एस॰ अलागिरी द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में औद्योगिक स्थापनों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) प्रो॰ राम शंकर द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा में एक हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री के॰डी॰ देशमुख द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लम्टा-पारसवाड़ा-बैयहर-मलाजखंड को जोड़ने वाली रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कालका मेल रेल दुर्घटना की जांच करने और रेल दुर्घटना के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश में हसनपुर से होकर गुजरने वाली संभल-गजरौला रेल लाईन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिला परियोजनाओं के अंतर्गत पक्की सड़क से गांव को जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा में वन भूमि में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित पुलिस स्थापनों के लिए भूमि देने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के वर्तमान उपबंधों को शिथिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री महेन्द्र कुमार राय द्वारा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में जंगली हाथियों की रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए न्यू जलपाईगुड़ी–अलीपुरद्वार के बीच सूर्यास्त के पश्चात् रेलगाड़ियों को न चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री पी॰ कुमार द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु में दैनिक मजदूरी पर शिक्षणेतर एनएमआर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री प्रबोध पांडा द्वारा हल्दिया से पारादीप आंतरिक जलमार्ग खोलने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.18 बजे

12. प्रस्ताव—विचाराधीन

लिया गया समय: 6 घंटे 18 मिनट

श्री यशवंत सिंहा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि सभा में मूल्य वृद्धि पर बार–बार चर्चा के बावजूद आम आदमी पर मूल्य वृद्धि का बोझ जारी है। मूल्य वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, यह सभा सरकार से आह्वान करती है कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए तुरंत प्रभावकारी कदम उठाए जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी।''

श्री गुरुदास दासगुप्त ने प्रस्ताव में संशोधन पेश किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.15 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.15 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:—

1. श्री सलमान खुर्शीद
2. श्री शरद यादव

3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. डा॰ काकोली घोष दस्तीदार
6. श्री टी॰ के॰ एस॰ इलेंगोवान
7. श्री पी॰ करूणाकरन
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री अनंत गंगाराम गीते
10. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
11. श्री के॰ नारायण राव
12. श्री संजय सिंह चौहान
13. श्री गुरुदास दासगुप्त
14. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
15. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
16. श्रीमती सुमित्रा महाजन
17. डॉ॰ के॰ एस॰ राव
18. श्री मनोहर तिरकी

*19. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

*20. प्रो॰ शेख सैदुल हक

*21. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*22. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी

23. श्री एन॰ चेलुवरया स्वामी
24. श्री नृपेन्द्र नाथ राय

*25. श्री घनश्याम अनुरागी

26. श्री जोसेफ टोप्पो
27. श्रीमती पुतुल कुमारी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

28. श्री राजू शेट्टी

*29. श्री ए॰ सम्पत

30. डॉ॰ तरूण मंडल

*31. श्री एम॰ बी॰ राजेश

32. श्री कामेश्वर बैठा

*33. श्री अर्जुन मेघवाल

*34. डॉ॰ रत्ना डे नाग

*35. श्री गोरखनाथ पाण्डेय

*36. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार

*37. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#रात्रि 8.13 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 4 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।
#सायं 7.37 से रात्रि 8.13 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—813LS(S3)—03-08-2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 4 अगस्त, 2011/13 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 162

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ

श्री वाई॰एस॰ जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के कडापा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने तेलुगु में शपथ ली, सदस्य नामावली पर हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने छठी, सातवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री दौलत राम सरन और आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री वी॰एस॰ कृष्णा अय्यर के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े रहे।

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61, 62 और 63 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 64—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2011-2012 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(4) (एक) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 की सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 33 की उपधारा (3) के अंतर्गत सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 387(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नॉलाजी तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नॉलाजी तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीको लॉरी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(13) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2011 जो 29 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एस-एडमिन०/II/8/2010 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 और 64 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का प्ररूप और समय) संशोधन नियम, 2011 जो 24 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 398(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 24 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 397(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (वित्तीय शास्ति की वसूली की रीति) विनियम, 2011 जो 19 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर-40007/रेग-रिकवरी/नोटि/04-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2011 जो 4 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं०-एल०3(2)/रेगुलेशन-जेन० (अमेंड)/2009-10/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित कार्य के संव्यवहार के बारे में पद्धति) विनियम, 2011 जो 11 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 1-1/कम्बिनेशन रेगुलेशन्स/2011-12/सीडी/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(15) उपर्युक्त (14) की मद संख्या (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त हुए एक संदेश की सूचना दी कि 3 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित कर दिया है।

7. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक — सभा पटल पर रखा गया

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2011

8. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राव इन्द्रजीत सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) दूरसंचार विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में बाईसवां प्रतिवेदन।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में तेईसवां प्रतिवेदन।

(4) डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में चौबीसवां प्रतिवेदन।

10. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

एडवोकेट गणेशराव नागोराव दुधगांवकर ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए दवाओं का उत्पादन और उपलब्धता' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(5) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011—12) के बारे में अट्ठारहवां प्रतिवेदन।

(6) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(7) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री टी॰ आर॰ बालू ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विदेश मंत्री ने "श्रीलंका में स्थिति" के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी

विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 217वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

13. प्रस्ताव — स्वीकृत

लिया गया समय: 7 घंटे 16 मिनट

श्री यशवंत सिन्हा द्वारा 3 अगस्त, 2011 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही तथा श्री गुरुदास दासगुप्ता द्वारा तत्संबंधी संशोधन पेश किया गया:—

''कि सभा में मूल्य वृद्धि पर बार-बार चर्चाओं के बावजूद, आम आदमी पर मूल्य वृद्धि का बोझ निरंतर बना हुआ है। मूल्य वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह मुद्रास्फीति को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी।''

श्री प्रणब मुखर्जी ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री यशवंत सिन्हा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

प्रस्ताव पर श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा पेश किए गए संशोधन पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम हां 51; नहीं 330 रहा। तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.05 बजे

14. कयर बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री वीरभद्र सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य,ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. समितियों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव

(एक) श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उप-नियम (3) के अंतर्गत, मंत्री के रूप में नियुक्त श्री वी॰ किशोर चन्द्र देव **के स्थान पर** सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) डा॰ मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, मंत्री के रूप में नियुक्त श्रीमती जयंती नटराजन **के स्थान पर** इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

(एक) श्री पी॰सी॰ चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा सर्वश्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव और पवन सिंह घाटोवार द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न रिक्तियों पर, दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के लिए, सर्वश्री विजय बहुगुणा और इज्यराज सिंह को नियुक्त करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री पी॰सी॰ चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा दूरसंचार लाइसेंस और

स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति में श्रीमती जयंती नटराजन द्वारा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न रिक्ति पर राज्य सभा से एक सदस्य को नियुक्त करे और राज्य सभा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 3 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.09 बजे

18. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

लोकपाल विधेयक, 2011

(लोक सभा अपराह्न 1.17 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.24 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.24 बजे

19. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब के मुकेरिया, दसुया, टांडा, होशियारपुर, शाम चौरासी और फगवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न रेल समपारों पर चौकीदारों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री के॰सी॰ सिंह 'बाबा' द्वारा देश में चीनी मिलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन पर महंगाई भत्ता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ क्रुपारानी किल्ली द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पर्यटन स्थलों को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में जापानी एन्सेफलाइटिस बीमारी के विरुद्ध टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कमल किशोर उर्फ कमांडों द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा केन्द्र सरकार के विकास कार्यक्रमों के उद्घाटन/शिलान्यास समारोह उस क्षेत्र के संसद सदस्य द्वारा कराए जाने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा तमिलनाडु के इगमोर रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की मौजूदा प्रचालन प्रणाली को जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा अनुकंपा के आधार पर रोजगार मांगने वाले सभी व्यक्तियों को तत्काल रोजगार प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश में बीएसएनएल की टेलीफोन केबलों की चोरी से बचने तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए इन केबलों को भूमि के भीतर बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा देश में आदिवासियों के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुखाडा-कटनी विधानसभा क्षेत्र में समपार पर रेलवे उपरि पुल/अधोगामी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा मध्य प्रदेश में लम्बित नागरिक विमानन परियोजनाओं को अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ किरोड़ी लाल मीणा द्वारा रंजीत सागर बांध से राजस्थान को उनके विधिवत् हिस्से का पानी छोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.25 बजे

20. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2011-12

लिया गया समय: 3 घंटे 28 मिनट

वर्ष 2011-2012 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग

संख्या 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 30 से 33, 38, 40, 41, 45 से 48, 50, 52 से 54, 57 से 61, 66, 72 से 75, 82, 85, 87, 90, 91, 93, 94, 96 और 101 से 105 पर चर्चा शुरू हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हरिन पाठक
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री तथागत सत्पथी
7. श्री एम॰बी॰ राजेश
8. श्री सी॰ शिवासामी
9. श्री प्रबोध पांडा
10. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
11. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक
12. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
13. श्री नारनभाई कछाड़िया
14. श्री संजय निरूपम
15. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
16. *डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
17. *डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
18. *श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बु
19. श्री एन॰ चेलुवरया स्वामी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।3

20. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
21. श्री नरहरि महतो
22. श्री घनश्याम अनुरागी
23. *श्री वीरेन्द्र कश्यप
24. *श्री वीरेन्द्र कुमार
25. *श्री हंसराज गं॰ अहीर
26. *श्री अर्जुन मेघवाल
27. *डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.56 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 5 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#सायं 5.53 बजे से सायं 6.56 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—855LS(S3)—04-08-2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 5 अगस्त, 2011/14 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 163

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81—84 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 85—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गएः—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2011-12 का प्रतिवेदन संख्यांक 6) (निष्पादन लेखापरीक्षा)— 19वें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2010-11 का संख्यांक 33)—मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेल वित्त।

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (रेल) (2010-11 का संख्यांक 34)।

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (सिविल) स्वायत्त निकाय (2011-12 का संख्यांक 38)।

(पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2011-12 का संख्यांक 7) तटरक्षक निष्पादन लेखापरीक्षा—मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय तटरक्षक की भूमिका और कार्यकरण।

(छह) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2011-12 का संख्यांक 8)—मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उर्वरक राजसहायता की निष्पादन लेखापरीक्षा-उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2009-10 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे (भाग-एक-समीक्षा)।

(दो) वर्ष 2009-10 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे (भाग-दो-विस्तृत विनियोग लेखे)।

(तीन) वर्ष 2009-10 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे [भाग-दो-विस्तृत विनियोग लेखे (अनुबंध-छ)]।

(4) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित विषयों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति—जून, 2011 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्यवाही के बारे में 16वीं प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पचास पैसे, एक रुपए और दो रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2011 जो 10 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 374(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निकेल ब्रास की मात्रा वाले पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2011 जो 10 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 375(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) द्विधातु के सिक्के अथवा दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2011 जो 10 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 376(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक, ब्रोकर्स एण्ड सब-ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 6 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/01/11486 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कतिपय मध्यवर्तियों के पंजीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 19 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/05/13907 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 2 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/06/13995 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टीज) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/13/21222 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंडरराइटर्स) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/15/21214 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/09/21233 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/11/21228 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/10/21232 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम के लिए बैंकर्स) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/12/21225 में प्रकाशित हुए थे।

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 180(अ) जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 232(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेल्युलर फोनों सहित मोबाइल हैण्डसेटों को उन पर उद्ग्रहणीय अधिक उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 233(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 1/2011-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 234(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 2/2011-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 235(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 236(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 237(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 5/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 238(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 239(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्ययधीन वस्तुओं के विनिर्माण के समय उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, कतरन और कबाड़ को छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 240(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 241(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 63/95-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 242(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 30/2004-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 243(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्ययधीन ब्रांड नाम रखने वाली अथवा ब्रांड नाम के अंतर्गत बेची जाने वाली सभी वस्तुओं को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 244(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सेनवैट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 245(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 246(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वस्तुओं के उत्पादन अथवा विनिर्माण में लगी प्रत्येक

खान, जहां ऐसी वस्तुओं के उत्पादक अथवा विनिर्माता के पास केन्द्रीयकृत बिलिंग अथवा लेखांकन प्रणाली है, पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के प्रचालन से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 247(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 248(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 20/2001-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 249(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सेनवैट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 286(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 332(अ) जो 20 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 62/1995-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 486(अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 107(अ) जो 24 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/1996-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 249(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 01 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 250(अ) जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 01 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 321(अ) जो 15 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 01 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 322(अ) जो 15 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उर्वरक के रूप में स्पष्टतया प्रयोग नहीं किए जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं के भारत में आयातित किए जाने पर उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 377(अ) जो 10 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 01 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 405(अ) जो 25 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या 51/2008–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 422(अ) जो 01 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 423(अ) जो 01 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंडिया आसियान एफटीए के दृष्टिगत फिलिपिन्स और अन्य आसियान देशों को शुल्क में रियायत दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 471(अ) जो 21 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 107/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 380(अ) जो 15 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 430(अ) जो 24 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या 6/2011-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 450(अ) जो 28 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 566(अ) जो 15 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 646(अ) जो 20 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या 14/2011-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 668(अ) जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 748(अ) जो 15 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 841(अ) जो 27 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 24/2011–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 912(अ) जो 19 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 1047(अ) जो 13 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 1223(अ) जो 27 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या 32/2011–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 1234(अ) जो 31 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 1400(अ) जो 15 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 487(अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 501(अ) जो 1 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा॰का॰नि॰ 499(अ) जो 1 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उद्गम नियम की प्रतिपूर्ति के अध्यधीन भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत मलेशिया से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए अधिमान्य टैरिफ निर्धारित करना है।

(सत्ताईस) कूरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा एवं प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2011 जो 1 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 290(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा॰का॰नि॰ 1541(अ) जो 6 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 और 18 के प्रयोजनार्थ समुचित अधिकारी के कार्य राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, निवारक आयुक्त कार्यालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों को सौंपा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 95(अ) जो 16 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और आस्ट्रिया में उद्भूत या वहां से निर्यातित 30 से॰मी॰ से अधिक चौड़ाई वाले पीपी/एचडीपीई फैब्रिक्स की बुनाई के लिए छह अथवा उससे अधिक शटल वाले वृत्ताकार बनाई मशीन के सभी आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 98(अ) जो 17 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट रिव्यू अन्वेषण को अंतिम रूप दिए जाने तक 30 जून, 2011 तक तथा इसके समेत चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां

से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 186(अ) जो 4 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 87/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 187(अ) जो 4 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 42/2010-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 188(अ) जो 4 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत या वहां से निर्यातित 'ग्लास फाईबर' का भारत में आयात किए जाने पर, उस पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 265(अ) जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या 33/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 328(अ) जो 18 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय थाईलैण्ड और जापान में उद्‌भूत या वहां से निर्यातित एसिटोन के आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर विनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 336(अ) जो 21 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 121/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 371(अ) जो 09 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या 45/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 395(अ) जो 23 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स फोशन जेड एण्ड डी सेरामिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) के माध्यम से मेसर्स जियांगसी झेंगडा सेरामिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) द्वारा विट्रीफाईड पोर्सिलीन टाईल्स का भारत में निर्यात किए जाने पर ऐसी प्रतिभूति के अध्यधीन जिसे उपयुक्त अधिकारी उचित समझे, दिनांक 27.06.2008 की अधिसूचना संख्या 82/2008-सी॰शु॰ द्वारा पहले से लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण किए बिना उसके आयात के अनंतिम मूल्यांकन का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 415(अ) जो 27 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 121/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 416(अ) जो 27 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय न्यू शीपर समीक्षा का परिणाम आने तक मेसर्स चांग चुन प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) द्वारा चीनी ताईपेई में उद्भूत या वहां से निर्यातित एसिटोन के आयात का अनंतिम मूल्यांकन करने संबंधी उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 450(अ) जो 14 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित पेन्टारिथ्रीटोल के आयात पर 515 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी की दर से अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 457(अ) जो 15 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट रिव्यू अन्वेषण को अंतिम रूप दिए जाने तक 15 जून, 2012 तक तथा इसके समेत चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेट्रोनिडाजोल' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 473(अ) जो 22 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से

निर्यातित सिलाई मशीन की सुईयों के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 519(अ) जो 07 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या 54/2008-सी॰शु॰ को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 525(अ) जो 08 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के दिनांक 3 मई, 2011 के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित ''सोडियम ट्राइपॉली फास्फेट'' के आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 266(अ) जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 7/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 267(अ) जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 8/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 268(अ) जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचन संख्या 9/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवाओं का निर्यात (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 280(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से प्रदत्त तथा भारत में प्राप्त) संशोधन नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 281(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सेवा कर (मूल्य अवधारण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि 282(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) कराधान स्थल (संशोधन) नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 283(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 284(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 285(अ) जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 07 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 19/2009-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 293(अ) जो 01 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय कर योग्य सेवाओं को सेवा की निरंतर आपूर्ति के रूप में अधिसूचित किया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 338(अ) जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) (ययययण) में संदर्भित कर योग्य सेवा को उक्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत लगाए जाने वाले समग्र सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 339(अ) जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) (ययययब) में संदर्भित कर योग्य सेवा को घोषित टैरिफ 1000 रुपये से कम होने पर उक्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत, लगाए जाने वाले समग्र सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 340(अ) जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 25/2006-सेवा कर को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 341(अ) जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी व्यावसायिक कोचिंग अथवा प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी प्री-स्कूल कोचिंग और ट्रेनिंग, किसी कोचिंग अथवा ट्रेनिंग को, विधि द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री दिए जाने पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 342(अ) जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 343(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से प्रदत्त तथा भारत में प्राप्त) (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 345(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सेवाओं का निर्यात (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 344(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 447(अ) जो 14 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 07/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 448(अ) जो 14 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 08/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 449(अ) जो 14 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 09/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 के उप-नियम (2) के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 432(अ) जो 3 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा परिसर विशेष को रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है, जहां रिकार्ड किए गए स्मार्ट कार्ड उत्पादक अथवा विनिर्माता का इन परिसर विशेष द्वारा उत्पादित अथवा विनिर्मित ऐसे माल का केन्द्रीयकृत बिलिंग या लेखांकन तंत्र है और वे केवल ऐसे परिसर या कार्यालय जहां से ऐसी केन्द्रीयकृत बिलिंग या लेखांकन की जाती है, को ही रजिस्टर कराने का विकल्प देते हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2011 जो 09 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 495(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 29 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 647(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 05 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 693(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2011 जो 05 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 694(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (पाचवां संशोधन) नियम, 2011 जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1214(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2011 जो 01 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1497(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 435(अ) जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43(5) के प्रयोजनार्थ

यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) आयकर अधिनियम, 1961 के नियम 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1046(अ) जो 13 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए 01 सितम्बर, 2010 से कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त भविष्य निधि खाते में 9.5% की दर से ब्याज दिया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1438(अ) जो 23 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1439(अ) जो 23 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल आय वर्ष 2011-12 में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है और उसमें उल्लिखित कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत प्रभारित आय पर ही शामिल है, को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 1029(अ) जो 29 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और तथा जिसमें 7 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 18(अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 1030(अ) जो 29 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और तथा जिसमें 7 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 19(अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 1031(अ) जो 29 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और तथा जिसमें 7 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 20(अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत जारी धन शोधन निवारण (न्याय निर्णयन प्राधिकरण के चेयर पर्सन और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 07 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 189 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उक्त अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 337 (अ) जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 01 मई, 2011 को उस दिन के रूप में नियत किया गया है जिस दिन वित्त अधिनियम, 2011 के उपबंध प्रभावी होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(21) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 8 अप्रैल, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4-90/2009/आयुर्वेद पीजी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा का न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 8 अप्रैल, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4-90/2009/आयुर्वेद पीजी में प्रकाशित हुए थे।

(28) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(30) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एसजेवीएन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(31) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 23/2/2005-आर एण्ड आर (खण्ड पांच) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित टैरिफ नीति 2006 के पैरा 5.1 और 7.1 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 12वां प्रतिवेदन; और

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 13वां प्रतिवेदन।

5. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शरद यादव ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 14वां प्रतिवेदन।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

6. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 8 अगस्त, 2011 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.11 बजे

7. ध्यानाकर्षण

श्रीमती सुषमा स्वराज ने तेलंगाना राज्य के गठन में हुए विलंब से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

गृह मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

गृह मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराह्न 1.50 बजे

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011

9. अध्यादेश के बारे में विवरण

श्री कपिल सिब्बल की ओर से श्रीमती डी॰ पुरन्देश्वरी ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम अध्यादेश, 2011 (2011 का संख्यांक 2) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(लोक सभा अपराह्न 1.51 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.48 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.48 बजे

10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2011-12

लिया गया समय : 3 घंटे 53 मिनट

वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा जारी रही। श्री प्रणब मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग सं॰ 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 30 से 33, 38, 40, 41, 45 से 48, 50, 52 से 54, 57 से 61, 66, 72 से 75, 82, 85, 87, 90, 91, 93, 94, 96 और 101 से 105 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2011

12. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2011

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.14 बजे

13. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009

आवंटित समय	:	2 घंटे
लिया गया समय	:	16 मिनट
शेष समय	:	1 घंटा 44 मिनट

श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से श्री नमोनारायन मीणा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

श्री निशिकांत दुबे ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

14. प्रस्ताव

श्री उदय सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा क्रमश: 24 मार्च, 2011 और 4 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 16वें और 17वें प्रतिवेदनों से सहमत है।''

श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा 17वें प्रतिवेदन पर पेश किए गए संशोधन को स्वीकार किया गया और प्रस्ताव, यथासंशोधित निम्नानुसार स्वीकृत किया गया।

''कि यह सभा क्रमश: 24 मार्च, 2011 और 4 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 16वें और 17वें प्रतिवेदनों से इस आशोधन के अध्यधीन सहमत है कि 17वें प्रतिवेदन के पैरा 4 के उप-पैरा 3 और पैरा 5 के उप-पैरा 3 में अंतर्निहित श्री पन्ना लाल पुनिया का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) संशोधन विधेयक, 2010 (धारा 3 का संशोधन, आदि) को उक्त विधेयक के संबंध में सिफारिशों पर पनर्विचार करने हेतु समिति को वापस भेज दिया जाए।''

अपराह्न 3.35 बजे

15. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) *श्री जयंत चौधरी का भूमि अर्जन विधेयक, 2011*

(2) *श्री एस॰ सेम्मलई का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011* (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)

(3) *श्री प्रदीप टम्टा का मृत्यु दंड उत्सादन विधेयक, 2011*

(4) *श्री प्रदीप टम्टा का सरकारी सेवक* (आस्तियों की घोषणा और अन्वेषण) विधेयक, 2011

(5) *श्री मनीष तिवारी का आसूचना सेवा* (शक्तियां और विनियमन) *विधेयक, 2011*

(6) *श्रीमती सुषमा स्वराज का भारतीय दंड संहिता* (संशोधन) *विधेयक, 2011* (नई धारा 302क और 364ख का अंत:स्थापन)

(7) *श्री निशिकांत दुबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011* (नए अनुच्छेद 16क और 29क का अंत:स्थापन)

अपराह्न 3.40 बजे

16. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन

प्रो॰ रंजन प्रसाद यादव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 275क और 371ञ का अंत:स्थापन)।

प्रो॰ रंजन प्रसाद यादव द्वारा 11 मार्च, 2011 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा आगे जारी रही।

प्रो॰ रंजन प्रसाद यादव ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री रमाशंकर राजभर
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री एस॰ सेम्मलई
7. श्री विश्वमोहन कुमार
8. श्री अर्जुन मेघवाल
9. श्री घनश्याम अनुरागी
10. श्री दारा सिंह चौहान (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.01 बजे

17. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) *भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में*

श्री शैलेन्द्र कुमार ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक निवेदन किया।

---

* सायं 6.01 बजे से सायं 7.00 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री अर्जुन मेघवाल और डॉ॰ राजन सुशांत सहयोजित हुए।

श्री हरीश रावत ने उत्तर दिया।

सायं 6.30 बजे

(दो) *दिल्ली मेट्रो के लिए एक प्रभावी योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में*

श्री जय प्रकाश अग्रवाल ने दिल्ली मेट्रो के लिए एक प्रभावी योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक निवेदन किया।

श्री हरीश रावत ने उत्तर दिया।

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने भी उत्तर दिया।

सायं 7.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 8 *अगस्त,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

टी॰के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—912LS—5.08.2011

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 8 अगस्त, 2011/17 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 164

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के करण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 102—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 30क की उपधारा (1) के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 279 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्र) (संशोधन) नियम, 2011 जो 23 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 229(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्र) (संशोधन) नियम, 2011 जो 15 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 454(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (संशोधन) नियम, 2011 जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एन-12/13/2/2010-पी एंड डी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (संशोधन) नियम, 2011 जो 9 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एन-12/13/2/2010-पी एंड डी में प्रकाशित हुए थे।

(3) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰ आ॰ 1251(अ) जो 1 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रयोजनार्थ अधिसूचना में उल्लिखित ट्रेड परीक्षण या परीक्षा के संबंध में उसमें उल्लिखित राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद को विनिर्दिष्ट किए जाने के बारे में है।

(दो) शिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 1 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 421(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 210(अ) जो 11 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (व्यवहार) संशोधन विनियम, 2011 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 386(अ) जो 14 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 2011 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 43(अ) जो 21 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 2011 का अनुमोदन किया गया है।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पाँच) केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(सात) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(आठ) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(9) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2011 जो 17 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा॰का॰नि॰ 458(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति) नियम, 2011 जो 4 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा॰का॰नि॰ 295(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 1003(अ) जो 5 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा दिल्ली को बैठक के लिए सामान्य स्थल विनिर्दिष्ट किया गया है तथा जिसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत पर होगा।

(दो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2010 जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2965 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रक्रिया तथा कार्याविधि) आदेश, 2010 जो 4 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 296 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(11) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) (पांचवां संशोधन) नियम, 2011 जो 13 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 446(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 18 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 221(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पर्यावरण (संरक्षण) (चौथा संशोधन) नियम, 2011 जो 1 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 424(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पर्यावरण (संरक्षण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 2 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 354(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पर्यावरण (संरक्षण) (संशोधन) नियम, 2011 जो 15 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 215(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) (एक) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) कोयम्बटूर इंस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोयम्बटूर इंस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) एसएआर इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड जेम एण्ड ज्वेलरी क्लस्टर, सूरत के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसएआर इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड जेम एण्ड ज्वेलरी क्लस्टर, सूरत के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) भरूच इको-एक्वा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अंकलेश्वर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भरूच इको-इक्वा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अंकलेश्वर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नासिक इंजीनियरिंग क्लस्टर, नासिक के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नासिक इंजीनियरिंग क्लस्टर, नासिक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) एनओसीसीआई बालासोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बालासोर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनओसीसीआई बालासोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बालासोर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) हैदराबाद फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड टेक्नालॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैदराबाद फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड टेक्नालॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) विजयवाडा ऑटो क्लस्टर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, विजयवाडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विजयवाडा ऑटो क्लस्टर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, विजयवाडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) आलापुझा कयर क्लस्टर डेवलपमेंट सोसायटी, आलापुझा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वर्ष 2009-2010 के लिए आलापुझा कयर क्लस्टर डेवलपमेंट सोसायटी, आलापुझा की सिफारिशों के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1109(अ) जो 19 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो चाय पर उपकर की दरों में बढ़ोत्तरी किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) एमएमटीसी लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 2011 की धारा 18छ के अंतर्गत न्यूज प्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2011 जो 25 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 636 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) बायलर ऑपरेशन इंजीनियर्स नियम, 2011 जो 15 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 212(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बायलर अटेंडेंट नियम, 2011 जो 15 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 213(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(34) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एनटीसी लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) बीआईसी लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(35) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्य) (2011-12 का संख्यांक 4) — अप्रैल, 2007 से मार्च, 2010 की अवधि के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के अधिप्रापण तंत्र के कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) बीईएमएल लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(37) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2293(अ) और जो 16 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 860(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 2351(अ) जो 29 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (परवानू-सोलन खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2951(अ) और जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 514(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 236(अ) और जो 3 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (रोहतक-हिसार खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 292(अ) और जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2013(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 352(अ) और जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 656(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 2070(अ) जो 7 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-खालघाट खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2089(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा खंड) के लिए प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 2090(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 डीबीएफओटी खंड और कटराज पुनर्रेखीकरण से वेस्टरली डायवर्जन (कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा से पुणे खंड तक) तथा (पुणे से ठाणे खंड तक) मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे के अंत में मिलाए जाने के लिए प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण किए जाने के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1856(अ) जो 29 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (डिन्डीगुल बाईपास–साम्यनेल्लोर खंड पर प्रस्तावित फ्लाईओवर शुरू किया जाना) (सेलम–मदुरै खंड) पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 2350(अ) जो 28 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (रायपुर–नागपुर खंड) पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण किए जाने के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 2417(अ) जो 5 अक्तूबर 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के मौजूदा चार लेन वाले कृष्णागिरी–रानीपेट खंड के डीबीएफओटी पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 1849(अ) जो 28 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के कोटा बाईपास देरूमाता टेम्पल खंड के चार लेन के अंत (चितौरगढ़ से कोटा से बरन से राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा खंड) पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1846(अ) जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8(क) के डीबीएफओटी के कृष्णागिरी–रानीपेट खंड (बमनबोर–साख्याली–गांधीधाम खंड) पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण किए जाने के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 2331(अ) जो 22 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली से दिल्ली/हरियाणा खंड) और (दिल्ली/हरियाणा सीमा से हरियाणा/उत्तर प्रदेश) पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 2183(अ) जो 6 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के बीओटी मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण किए जाने के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 367(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जनवरी, 2010 के अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 41(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का॰आ॰ 375(अ) जो 15 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2010 के अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 952(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का॰आ॰ 2663(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (नरसिंह-पुर/छिन्दवाड़ा जिला सीमा से अमरवाड़ा खंड तक) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 2881(अ) जो 01 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख)(नरसिंहपुर से नरसिंहपुर/छिन्दवाड़ा जिला सीमा) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2835(अ) जो 24 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (छिन्दवाड़ा-बाईपास खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 2933(अ) जो 13 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इंदौर-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 2944(अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख)

(छिन्दवाड़ा बाईपास खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 43(अ) जो 11 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) (बैतुल/छिन्दवाड़ा जिला सीमा खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 46(अ) जो 11 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (छिन्दवाड़ा बाईपास खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 370(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जनवरी, 2010 के अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 39(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 2768(अ) जो 11 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) (मुलतई से बैतुल/छिन्दवाड़ा जिला सीमा खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 2640(अ) जो 25 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (झांसी-खजुराहो खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 2922(अ) जो 09 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (नासिक-खजुराहो खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 2876(अ) जो 01 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12(क) (जबलपुर-मंडला-चिल्पी खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकतीस) का०आ० 2769(अ) जो 11 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (छिन्दवाड़ा बाईपास खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बत्तीस) का०आ० 2641(अ) जो 25 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (छिन्दवाड़ा बाईपास खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तैंतीस) का०आ० 2770(अ) जो 11नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) (बैतुल-छिन्दवाड़ा जिला सीमा से छिन्दवाड़ा खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौंतीस) का०आ० 2745(अ) जो 08 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (नरसिंहपुर/छिन्दवाड़ा जिला सीमा से अमरवाड़ा खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंतीस) का०आ० 2771(अ) जो 11 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (अमरवाड़ा से छिन्दवाड़ा और छिन्दवाड़ा बाईपास खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) का०आ० 2744(अ) जो 08 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-देवास खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सैंतीस) का०आ० 2563(अ) जो 13 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (अलूतुमा-मलापुरा खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 2668(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (गदपाड़ा जंग–समाला खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 2535 (अ) जो 12 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (भुबन भदालियापासी–भुबनबेथियापल खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 2545(अ) जो 12 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (मालतीपटपुर–सिपासुरूबुली खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 2740(अ) जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1835 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयालीस) का॰आ॰ 2638(अ) जो 25 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलबगल–कोलार–बंगलौर खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 2939(अ) जो 14 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (पणजी–मंगलौर–कोचीन खंड) एवं (मंगलौर–कोचीन खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 2938(अ) जो 14 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (हुंगुन्ड–होसपेट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 2274(अ) जो 14 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 44(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियालीस) का॰आ॰ 2754(अ) जो 9 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1092(अ) एवं 19 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1712(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 2830(अ) जो 24 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 2666(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 25 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1541(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(उनचास) का॰आ॰ 157(अ) जो 24 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (उत्तरासासन-सिपसुरूबुली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 3073(अ) जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 (खेड-सिन्नार खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 3074(अ) जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 (खेड-सिन्नार खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 3075(अ) जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 (खेड-सिन्नार खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 94(अ) जो 13 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 25 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 556(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(चौवन) का॰आ॰ 95(अ) जो 14 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 22 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2666(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(पचपन) का॰आ॰ 2821(अ) जो 22 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 2823(अ) जो 22 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 (सिन्नार बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तावन) का॰आ॰ 293(अ) जो 8 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 234(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का॰आ॰ 299(अ) जो 08 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 354(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 2943(अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 (दिल्ली-आगरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 366(अ) (केवल हिन्दी संस्करण) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2845(अ) का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(38) उपर्युक्त (37) की मद संख्या (सात) से (सोलह) तक पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलंब को दर्शाने वाले दस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) आर्टिफिसियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्टिफिसियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री ए॰ के॰ एंटोनी की ओर से श्री एम॰एम॰ पल्लम राजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से जो अध्यक्ष निदेश करे, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों का निर्वाचन करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक,* 2011

(दो) *सीमा शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक,* 2011

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामले जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री महाबल मिश्रा द्वारा दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री इज्यराज सिंह द्वारा कोटा (राजस्थान) से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीधी रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब विशेषकर होशियारपुर जिले में यूरिया तथा डीएपी की पर्याप्त मात्रा प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए वर्ष 2008 से पात्रता शर्तों की गणना को निर्धारित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एम॰ आई॰ शानवास द्वारा केरल के वयनाड़ वन्य जीव अभयारण्य में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक पुनः अवस्थिति पुनर्वास योजना के तहत स्वीकृत धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा 20.9.2010 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास में हुई रेल दुर्घटना के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा मध्य प्रदेश की कटनी स्थित आयुध निर्माणी में चार हाई मिल मशीनें लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अशोक अर्गल द्वारा नागर विमानन अपेक्षा नियमों में कथित फेरबदल के बारे में जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा उत्तर पश्चिमी रेल जोन के सादुलपुर रेलवे जंक्शन के पूर्वी भाग में रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री आर॰ के॰ सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लंबित परियोजना को अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा पूर्व मध्य रेलवे जोन में बिहार के औरंगाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 98 पर अनुग्रह नारायण रोड़ और फेस्सार के बीच एनएच ग्रांड कोर्ड क्रॉसिंग पर सड़क उपरि पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन द्वारा नागरकोईल और बंगलौर के बीच प्रतिदिन एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ तरुण मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन और जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तबाही मचाने वाले 'आईला' चक्रवात पीड़ितों को समुचित मुआवजा प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 12.05 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 9 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—1000LS—08.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 9 अगस्त, 2011/18 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 165

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त, 1942 को शुरू किए गए 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 69वीं वर्षगांठ के बारे में उल्लेख किया तथा राष्ट्रपिता और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने की 66वीं बरसी के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण स्वतंत्रता सेनानियों तथा परमाणु बम की तबाही के शिकार हुए लोगों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. प्रश्न

सभा व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 121—140 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नॉर्थ-ईस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, दीमापुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ-ईस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, दीमापुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) साऊथ ज़ोन कल्चरल सेन्टर, तंजावुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ ज़ोन कल्चरल सेन्टर, तंजावुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) सेन्टर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नॉर्थ ज़ोन कल्चरल सेन्टर, पटियाला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ज़ोन कल्चरल सेन्टर, पटियाला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नॉर्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेन्ट्रल रेल साइड वेयर हाऊस कम्पनी लिमिटेड (सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की एक अनुषंगी) और सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) सेन्ट्रल वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(22) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा०का०नि० 114(अ)/एस०कॉम०/गन्ना जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2010-11 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का कारखाना-वार उचित और लाभकारी मूल्य अधिसूचित किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 270(अ) जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी और खंडसारी के विक्रेताओं पर स्टॉक होल्डिंग और कारोबार की सीमा अध्यारोपित की गई है।

(तीन) चीनी (वर्ष 2009-2010 के दौरान उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन (दो) आदेश, 2011 जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 350(अ)/एस॰कॉम॰/चीनी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) चीनी (वर्ष 2010-2011 के दौरान उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 2011 जो 2 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 355(अ)/एस॰कॉम॰/चीनी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्री पर (अनुज्ञापन अपेक्षा, स्टॉक लिमिट और संचलन प्रतिबंध) को हटाए जाने संबंधी संशोधन आदेश, 2011 जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 654(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(23) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण नियम, 2010 जो 20 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 556(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 202 की उपधारा (1) के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान सहायता) नियम, 2010 जो 1 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 309/2010/एफ॰नं॰ 6-6(1)/2003-पीआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 154 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 11 के अंतर्गत का॰आ॰ 1224(अ) जो 28 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसमें विनिर्दिष्ट है कि हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के फोर्स के सदस्य को शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वाह करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(दो) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 4 के अंतर्गत का॰आ॰ 1225(अ) जो 28 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें विनिर्दिष्ट है कि सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के फोर्स के सदस्य को शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वाह करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(27) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग (सेवा की निर्बंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 44 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (वर्ष 2011-12 का संख्यांक 11) — आदर्श को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) कृषि उपज श्रेणीकरण और चिह्नांकन अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कैस्टर बीज (श्रेणीकरण और विपणन) नियम, 2011 जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 564(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जैविक कृषि उपज श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2011 जो 23 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 394(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(35) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (घ) के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियम) (पहला संशोधन) आदेश, 2011 जो 28 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 887(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 27 की उपधारा (2) के अंतर्गत लिंडेन प्रतिबंध आदेश, 2011 जो 25 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 637(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) नेशनल फाउंडेशन फॉर काम्यूनल हारमोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फाउंडेशन फॉर काम्यूनल हारमोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) नेशनल फाउंडेशन फॉर काम्यूनल हारमोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फाउंडेशन फॉर काम्यूनल हारमोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, कांस्टेबल (ड्राईवर) भर्ती नियम, 2011 जो 24 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 483(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, फायर विंग, कांस्टेबल (ड्राईवर सह पंप ऑपरेटर) भर्ती नियम, 2011 जो 24 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 484(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बैंड्स मैंन (कम्बेटाइज्ड) भर्ती नियम, 2011 जो 24 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 482(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(42) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 288(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नागालैंड के राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-दो के उप शीर्ष 'यात्रा व्यय' के अंतर्गत धनराशि बढ़ाए जाने संबंधी राष्ट्रपति के विशेष आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (कम्बेटाइज्ड समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2011 जो 31 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 56(अ) में प्रकाशित हुए थे और उसका शुद्धि-पत्र जो 9 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 443 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'स्वर्णिम चतुर्भुज के कार्यान्वयन सहित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना' के बारे में प्राक्कलन समिति का 11वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :—

(एक) गृह मंत्रालय से संबंधित भारत-पाकिस्तान सीमा पर बोर्डर फेंसिंग और फ्लड लाइटिंग परियोजनाओं के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 135वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) गृह मंत्रालय से संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.04 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

---

*यह प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेश 71 (क) के अंतर्गत 27 अप्रैल, 2011 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया जब सभा सत्र में नहीं थी।

अपराह्न 2.00 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ क्रुपारानी किल्ली द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के गांवों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बारहमासी सड़कें प्रदान कराए जाने के लिए निधियां स्वीकृत कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री दत्ता आर॰ मेघे द्वारा देश में इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट का प्रबंधन तथा निपटान करने के लिए कानून बनाए जाने तथा मार्गनिर्देश तैयार कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में भाराचुक्की फॉल्स का विकास करने के लिए स्वीकृत निधियों की पूरी धनराशि जारी कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 34 का विकास कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री निनोंग ईरींग द्वारा अरूणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों जो चीन में आयोजित 11वें जूडो कराटे चैम्पियनशिप में भाग लेना चाहते थे को जारी किए गए नत्थी वीजा से संबंधित मुद्दे का समाधान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री कमल किशोर 'कमांडो' द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गिरजापुरी स्थित सेंट्रल स्टेट एग्रीकल्चर फार्म को पुन: चालू कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री दिलीप गांधी द्वारा महाराष्ट्र में दोंड-मनमाड़ रेलवे लाइन का दोहरीकरण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के बेगुसराय जिले में 'हर्षायन स्तूप' का पुरातात्विक उत्खनन शुरू कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री के॰डी॰ देशमुख द्वारा मध्य प्रदेश के शिवनी–छपरा–लखनादोन रेल लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तित कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग द्वारा राज्यों का दौरा करते समय राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले सहयोग को सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती सुशीला सरोज द्वारा खुदरा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन को देखते हुए छोटे खुदरा विक्रेताओं के हितों का संरक्षण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के खुर्जा रेलवे स्टेशन पर और अधिक टिकट काउंटर खोले जाने तथा बेहतर यात्री सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा खगड़िया जिले के महेशकुंट से देवघर, झारखंड बरास्ता अगवानी–सुल्तानगंज घाट के बीच की सड़क का उन्नयन करके इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक में गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले सभी परिवारों के हितों का संरक्षण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती भावना पाटील गवली द्वारा महाराष्ट्र के यवतमाल–वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एस॰ सेम्मलई द्वारा तमिलनाडु के नीलगिरी जिले की बडगा जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार में सड़कों को चार लाइन वाला बनाए जाने तथा उनका उन्नयन कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री प्रबोध पांडा द्वारा दिल्ली के 'विंडसर प्लेस' का नाम परिवर्तित करके देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले विख्यात क्रांतिकारी शहीद बटुकेश्वर दत्त के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) डॉ॰ किरोड़ी लाल मीणा द्वारा दिल्ली सरकार के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 2.13 बजे

7. नियम 193 के अधीन चर्चा

आवंटित समय	:	3 घंटे
लिया गया समय	:	2 घंटे 06 मिनट
शेष समय	:	54 मिनट

श्री बसुदेव आचार्य ने राष्ट्रमंडल खेल (सीडब्ल्यूजी), 2010 के बारे में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा 2 अगस्त, 2011 को लोक सभा के पटल पर रखे गए वक्तव्य पर चर्चा उठायी।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मनीष तिवारी

2. श्री यशवंत सिन्हा (*भाषण अपूर्ण रहा*)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 4.19 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत हुई)

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 5.04 बजे

(लोक सभा बुधवार, 10 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

---

* सदस्यों द्वारा अपराह्न 2.01 बजे से 2.12 बजे तक अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये गये।

GMGIPMRND—1048LS—09.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 10 अगस्त, 2011/19 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 166

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने आठवीं, नौवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 142—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) (एक) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) रिसर्च एण्ड इनफार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिसर्च एण्ड इनफार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) रिसर्च एण्ड इनफार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिसर्च एण्ड इनफार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 2011 जो 5 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 363(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2011 जो 11 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 379(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2009 जो 11 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 380(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2009 जो 11 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 381(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 319(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 320(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2011 जो 09 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 203(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2011 जो 09 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 204(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत भारतीय संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2011 जो 21 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 472(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, मणिपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, मणिपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष, 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) इंगलिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) इंगलिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) इंगलिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंगलिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 की धारा 8 के अंतर्गत राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (फीस) संशोधन नियम, 2011 जो 18 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 325(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री विजय बहादुर सिंह ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी ने 'आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यदशा' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2010-11) का 8वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

कुमारी मीनाक्षी नटराजन ने लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 46वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

---

*9 जून, 2011 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किया गया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विदेश मंत्री ने परमाणुवीय संवर्धन और पुनर्संसाधन (ईएनआर) प्रौद्योगिकी के मुद्दे पर वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 215वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री के॰ सुधाकरण द्वारा रमजान और ओणम के त्यौहार के सीजन के दौरान केरल और खाड़ी देशों के बीच एयर इंडिया की उड़ानों की बारम्बारता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नू' द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जिले का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु के किसानों को पोटाश और डीएपी उर्वरक की सुलभ और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री पी॰ एल॰ पूनिया द्वारा आरक्षण के बारे में एम॰ नागराज मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अनुसचित जनतियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में अजनी रेलवे स्टेशन का उन्नयन करने तथा अजनी रेलवे स्टेशन पर रेलवे उपरि पुल का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री अमर नाथ प्रधान द्वारा उड़ीसा के संबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित सिंधोल बराज परियोजना को रद्द किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला द्वारा विश्वमित्री नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री प्रेमदास कथीरिया द्वारा उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंचनदा बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नांलदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित आयुध निर्माणी में उत्पादन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती रत्ना डे (नाग) द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में गंगा नदी द्वारा उत्पन्न मृदा अपरदन को रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री बंस गोपाल चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर यूनिट के कामगारों के मुद्दों का निपटान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रूद्रमाधव राय द्वारा उड़ीसा में खुर्द-बोलंगीर रेल लाइन परियोजना कार्य को पूरा करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री एन॰ चेलुवरया स्वामी द्वारा कर्नाटक के मांडय जिला के नीलमंगला तालुक के कडावाहल्ली गांव में एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 11 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—1096LS—10.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 167

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री खुदीराम बोस,जो एक सौ तीन वर्ष पहले राष्ट्र को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की बेड़ियों से आजाद करने के लिए शहीद हो गए, के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में जनगणना के साथ-साथ जाति-आधारित जनगणना की आवश्यकता के बारे में निवेदन किए।

1. श्री शरद यादव
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री गोपीनाथ मुंडे
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री टी॰आर॰ बालू

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161—164 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 165—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (4) के अंतर्गत कॅयर उद्योग (रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2011 जो 1 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1252(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (समनुषंगी) तथा हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) नेपा लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्यारह) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(बारह) एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तेरह) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजनाओं के लेखापरीक्षा नियम, 2011 जो 30 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 495(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत का॰आ॰ 1484(अ) जो 30 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-एक में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्यारह) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(बारह) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(15) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का०आ० 28(अ) जो 7 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खरीफ-2011 के दौरान यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति दर्शाने वाले आदेश के बारे में है।

(दो) का०आ० 2838(अ) जो 24 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खरीफ-2010 के दौरान यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति दर्शाने वाले आदेश के बारे में है।

(16) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2011–2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(17) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी भर्ती में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेलवे रेड टैरिफ (संशोधन) नियम, 2011 जो 12 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 384(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008–2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009–2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2011–2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2011–2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2011–2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(25) (एक) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (पेंशन) (संशोधन) नियम, 2011 जो 15 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा°का°नि° 214(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति) उपदान (संशोधन) नियम, 2011 जो 17 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 220(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की सामान्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2010 जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 792(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(27) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अपील अधिकारी (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा प्राधिकरण के व्यय की पूर्ति की रीति) संशोधन नियम, 2011 जो 24 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 477(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) डब्ल्यूएपीसीओएस (वैपकॉस) लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(33) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने लोक लेखा समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) से संबंधित 'त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)' के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

(2) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2007-08) से अधिक व्यय' के संबंध में समिति के सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

(3) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित 'स्टोर सामान की खरीद और मालसूची नियंत्रण' के संबंध में समिति के 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

(4) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित 'संसाधनों की अव्यपगत केन्द्रीय पूल योजना' के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

(5) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'एडीजीईएस राडार के कार्यकरण, विशेष वस्त्र और पर्वतारोहण उपकरण की खरीद और पट्टे पर देने/पट्टे के नवीकरण में विलंब' के संबंध में समिति के 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

7. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री ए॰ के॰ एस॰ विजयन ने 'एमपीलैड्स के कार्य निष्पादन में विलंब को रोकने के लिए एमपीलैड योजना की प्रभावी मानीटरिंग' विषय के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति (2010-11) का चौथा प्रतिवेदन* प्रस्तुत किया।

8. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

प्रो॰ शेख सैदुल हक ने 'खाद्यान्न-प्रीमियम गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 98वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

9. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ महेश जोशी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) — मुद्दे और चुनौतियां के बारे में** 168वां प्रतिवेदन।

(2) भारत में हैलीकॉप्टर प्रचालन के बारे में** 169वां प्रतिवेदन।

(3) महापत्तनों के आधुनिकीकरण के बारे में 170वां प्रतिवेदन।

10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का 28वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विधि और न्याय मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्री ने अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10 और 2010-11) पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 7वें और 12वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी,

* यह प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को 4 मई, 2011 को निदेश 71क के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया जब सभा सत्र में नहीं थी।

**प्रतिवेदन राज्य सभा के माननीय सभापति को 4 मई, 2011 को प्रस्तुत किए गए तथा लोक सभा की माननीय अध्यक्ष को उसी दिन अग्रेषित किए गए।

पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 214वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 1.12 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे —

(1) डॉ॰ संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष रूप से सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कोल्लम जिले में मुंद्रोथ्रुथ्रू द्वीप के चहुंमुखी विकास हेतु विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मध्याह्न भोजन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ महेश जोशी द्वारा रेल दुर्घटनाओं के दौरान मृत्यु अथवा घायल व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम करने के लिए रेल के डिब्बों के भीतर संरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा तमिलनाडु में डिंडीगुल और पलानी नगरों के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हरीश चौधरी द्वारा आपदा राहत कोष के अंतर्गत अर्हता के लिए बर्फीली और ठंडी हवाओं को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में भूमिगत जल निकासी योजना और तूफानी जल व्ययन योजना के निर्माण हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रावसाहेब दानवे पाटील द्वारा महाराष्ट्र में सूत के लिए लाभकारी मूल्य नियत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 1.11 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(9) श्री रमेन डेका द्वारा असम के संवेदनशील और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित होने को देखते हुए उत्तर पूर्व क्षेत्र में बांधों के निर्माण में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा मध्य प्रदेश के बेतुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खिड़किया रेलवे स्टेशन को विकसित किए जाने तथा इस रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा सूरत विमानपत्तन को विकसित किए जाने और देश के सभी बड़े शहरों से सूरत के बेहतर हवाई संपर्क का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संदीला-बिल्हौर-कद्धोंना नगरपालिका के अंतर्गत रेलवे समपार पर एक उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ महबूब बेग द्वारा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर एक चिकित्सा संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल के बलुरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#अपराह्न 1.13 बजे

13. सरकारी विधेयक —पारित

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009

लिया गया समय: 3 घंटे 15 मिनट

श्री नमो नारायन मीणा द्वारा 5.8.2011 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे (भाषण पुन: आरंभ किया)
2. डॉ॰ के॰एस॰ राव

3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
5. श्री मंगनी लाल मंडल
6. एडवोकेट ए॰ सम्पत
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री प्रबोध पांडा
9. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
10. श्री एस॰ सेम्मलई
11. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
12. श्री नरहरि महतो
13. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू

श्री नमो नारायन मीणा ने वाद–विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड–वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 से 9, स्वीकृत हुए।

खण्ड 10, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री नमो नारायन मीणा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 4.13 बजे

14. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009

लिया गया समय: 2 घंटे

श्री गुलाम नबी आजाद ने विधेयक पर विचार किए जान का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन मेघवाल
2. डॉ॰ ज्योति मिर्धा
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री रमाशंकर राजभर
5. श्री विश्व मोहन कुमार
6. डॉ॰ रत्ना डे नाग
7. श्री एस॰आर॰ जेयदुरई
8. डॉ॰ अनुप कुमार साहा
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री अनंत गंगाराम गीते
11. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
12. श्री जगदानंद सिंह
13. श्री प्रबोध पांडा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*अपराह्न 6.51 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 12 *अगस्त,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.13 बजे से सायं 6.51 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1124LS—11.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 168

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181—183 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 184—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

(1) वर्ष 2011-2012 के लिए पंचायती राज मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2011-2012 के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत खान संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2011,जो 9 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 75(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक को-आपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक को-आपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2010-11 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋणों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा कारबार के समामेलन और अंतरण की स्कीम) विनियम, 2011 जो 31 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रेग/1/55/2011 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय बीमांकक संस्थान (परिषद की बैठकों में कार्य का संव्यवहार) विनियम, 2011 जो 17 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या एम-18012/03/2008-इंस.III में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमांकक संस्थान (रजिस्टर रखना, सूची का प्रकाशन और सदस्यों के रजिस्टर में नामों की पुन: प्रविष्टि) विनियम, 2011 जो 17 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या एम-19012/03/2008-इंस.III में प्रकाशित हुए थे।

(11) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारियों को दौरे पर दैनिक भत्ते और होटल प्रभार) संशोधन नियम, 2010 जो 1 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 932(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर वापसी (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 11 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 312(2) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 390(अ) जो 19 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत आईसीडी मारीपलेम गांव को सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं में शामिल करने के लिए, उनमें उल्लिखित, 31 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 474(अ) जो 22 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 97/2009-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 508(अ) जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 518(अ) जो 7 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 148/1994-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 532(अ) जो 13 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 536(अ) जो 14 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर कलाईछार और बलात सीमा हाटों में बांग्लादेश से भारत में आयातित विनिर्दिष्ट माल पर कतिपय शर्तों के अध्यधीन सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 549(अ) जो 19 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 550(अ) जो 19 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/1996-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 561(अ) जो 21 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 409(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धात्विक प्लास्टिक फिल्मों के विनिर्माताओं द्वारा धात्विक प्लास्टिक फिल्मों में प्रयोग अथवा उसके विनिर्माण के लिए माल के आयात की, कतिपय शर्तों के अध्यधीन रियायती दरों पर अनुमति दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन शोधन निवारण (लेन-देन के प्रकार एवं मूल्य के आधार पर रिकार्डों का रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और तरीका, तथा सूचना उपलब्ध कराने का समय, तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान संबंधी रिकार्डों का सत्यापन एवं रखरखाव) संशोधन नियम, 2011 जो 24 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 481(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1431(अ) जो 21 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच और पदार्थों को 'विनिर्मित ओषधियों' के रूप में घोषित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2011 जो 21 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 470(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 311(अ) जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में पदार्थों को जोड़ने अथवा हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 1430(अ) जो 21 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2011 जो 11 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰739(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 496(अ) जो 30 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1% शुल्क की दर से क्लीयर किए गए उत्पाद शुल्केय माल की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12(1) के छठे उपबंध के अनुसार निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली त्रैमासिक रिटर्न के प्रारूप को विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 551(अ) जो 19 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/1995-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 560(अ) जो 21 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अनन्तिम मेगा/अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की यथा स्थिति प्रमाणपत्र वाले डेवलपर को कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कराधान बिन्दु (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 27 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 490(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 566(अ)जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (यययङ) में संदर्भित क्लब या एसोसिएशन की सेवा को, जोकि किसी डाईंग यूनिट की एसोसिएशन द्वारा डाईंग यूनिटों के कचरे और ठोस कूड़े के परिशोधन और पुनःचक्रण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से सामान्य सुविधाओं को स्थापित करने के संबंध में प्रदान की गई है, को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 539 (अ)जो 15 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और जापान में उद्भूत अथवा विनिर्दिष्ट दर पर वहां से निर्यातित 1, 1, 1, 2-टेट्राफलोरेथेन अथवा आर-134ए के आयातों पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 548(अ) जो 19 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सैकरिन' के आयात पर, 5 जून, 2012 तक और उसके समेत, प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को विस्तारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित मदों पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और उद्ग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 554(अ) जो 20 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे व्यक्ति को, जो भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो, उक्त नियमों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अभिहित प्राधिकारी नियुक्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 555(अ) जो 20 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे व्यक्ति को, जो भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो, उक्त नियमों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अभिहित प्राधिकारी नियुक्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एनएचपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011–2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड तथा एनएचडीसी लिमिटेड के बीच वर्ष 2011–2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(22) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की सुरक्षा आवश्यकता) विनियम, 2011 जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ नं॰ सीईए/टीईटीडी/एमपी/आर/02/2011 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2011 जो 24 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 45(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क के अंतर्गत सा॰का॰नि॰ 218(अ) जो 16 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय ओषधियों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण को निषिध किया गया है।

(25) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 जो 5 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 362 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 11 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 25 मार्च, 2011 को पारित सिक्का-निर्माण विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा को 5 अगस्त, 2011 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2011 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन ने 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 238वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन ने 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पंचायती राज मंत्री और जनजातीय कार्य मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.04 बजे

8. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 16 अगस्त, 2011 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.13 बजे

9. ध्यानाकर्षण

श्री गुरुदास दासगुप्त ने एयर इंडिया की घटती हुई यात्री संख्या और खराब वित्तीय स्थिति जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य प्रसुविधाओं के संदाय में विलंब हुआ, से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर नागर विमानन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

नागर विमानन मंत्री की ओर से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

***10. प्रस्ताव**

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया।

''कि यह सभा 11 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#अपराह्न 1.50 बजे

11. सदस्य द्वारा निवेदन

देश में कैंसर रोगियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में

श्री जय प्रकाश अग्रवाल ने देश में कैंसर रोगियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में निवेदन किए।

सर्वश्री अर्जुन मेघवाल, धनंजय सिंह, दारा सिंह चौहान, जितेन्द्र सिंह बुंदेला, डॉ॰ संजीव गणेश नाईक और डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी सहयोजित हुए।

श्री गुलाम नबी आजाद ने उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 12.12 बजे।

#अपराह्न 1.25 बजे से अपराह्न 2.28 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.29 बजे

12. सरकारी विधेयक—पारित

मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009

लिया गया समय: 3 घंटे 02 मिनट

श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा 11.8.2011 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गणेश सिंह
2. डॉ॰ प्रभा किशोर ताविआड
3. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
4. डॉ॰ तरुण मंडल
5. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

श्री गुलाम नबी आजाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 4, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण

(संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 15 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क भी स्वीकृत हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7ख को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7ख भी स्वीकृत हुआ।

खंड 8, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 9, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9क भी स्वीकृत हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9ख को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9ख भी स्वीकृत हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 22 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9ग को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9ग भी स्वीकृत हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण

(संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9घ को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9घ भी स्वीकृत हुआ।

खंड 10, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 11, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 29 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 11क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 11क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 12, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 13, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री गुलाब नबी आजाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 3.31 बजे

13. प्रस्ताव

श्री प्रबोध पांडा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 10 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प — विचाराधीन

डॉ॰ भोला सिंह द्वारा 21 अगस्त, 2010 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह राज्य में विकास की गति त्वरित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे और इसे अपने पिछड़ेपन पर काबू पाने में मदद करे।''

डॉ॰ भोला सिंह ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री ओम प्रकाश यादव
2. श्री मंगनी लाल मंडल
3. श्री सतपाल महाराज
4. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
5. श्री मोहम्मद मौलाना असरारूल हक
6. श्री शैलैन्द्र कुमार
7. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
8. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
9. श्री सुशील कुमार सिंह

10. श्री पन्ना लाल पुनिया
11. श्री अर्जुन राय
12. श्रीमती पुतुल कुमारी (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.02 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 16 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—1156LS(S3)—12.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 16 अगस्त, 2011/25 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 169

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

(एक) ''माननीय सदस्य, मुझे लोकपाल विधेयक के विरुद्ध श्री अन्ना हजारे, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा कथित आंदोलन के बारे में सर्वश्री योगी आदित्यनाथ और शैलेन्द्र कुमार से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री रामकिशुन ने भी भारी वर्षा के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कथित बाढ़ की स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना सभा पटल पर रखी है।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, इनके कारण पूरे दिन के लिए सभा के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना अपेक्षित नहीं है।

अत: मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है।''

(दो) ''माननीय सदस्य, मुझे श्री अन्ना हजारे द्वारा कथित तौर पर आमरण अनशन किए जाने के बारे में सर्वश्री गुरुदास दासगुप्त, बसुदेव आचार्य, श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री शैलेन्द्र कुमार से प्रश्न काल के निलंबन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री शरद यादव ने भी देश में भ्रष्टाचार के बारे में प्रश्न काल के निलंबन की सूचना सभा पटल पर रखी है।

कार्य संचालन नियमों में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत सदस्य प्रश्न काल के निलंबन की मांग कर सकें। अत: मैंने प्रश्न काल के निलंबन की सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है।

तथापि, मैं इन सदस्यों को उक्त विषय पर बहुत संक्षेप में बोलने की अनुमति दे रही हूं और तत्पश्चात् प्रश्न काल होगा।''

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: उस दिन की कार्यवाही वृत्तांत में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 201—220 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तरों के साथ उस दिन के कार्यवाही प्रतिवेदन में मुद्रित किए जाएंगे।

(*सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.07 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.30 *बजे पुन: समवेत हुई*)

(*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.34 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई*)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नॉर्थ-ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नॉर्थ-ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) नॉर्थ-ईस्टर्न हैण्डिक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) (एक) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) हरियाणा एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकुला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकुला का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) पंजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) केरल एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 588(अ) जो 18 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 706(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2011 जो 25 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1169(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2011 जो 10 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1023(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) का॰आ॰ 1024(अ) जो 10 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए मेसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले, उसमें उल्लिखित, अनंतिम उर्वरकों के विनिर्देश नियत किए गए हैं।

(7) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल फायर विंग (अधीनस्थ रैंक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 79(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण)।

4. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री ए॰के॰एस॰ विजयन ने एमपीलैड्स समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से एमपीलैड्स योजना के महत्व के बारे में कार्यान्वयनकारी एजेंसियों में जागरूकता' विषय के संबंध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(2) 'प्रतिष्ठित सेवा संगठनों जैसे रेड क्रॉस, आदि द्वारा एंबुलेंस प्राप्त करने के लिए एमपीलैड्स निधि प्रदान करना' विषय के संबंध में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में छठा प्रतिवेदन।

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्री के॰ पी॰ धनपालन द्वारा महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के बारे में श्यामला गोपीनाथ समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री इज्यराज सिंह द्वारा कोटा विमानपत्तन, राजस्थान से दिल्ली, मुम्बई और देश के अन्य बड़े शहरों तक विमान सेवाएं प्रचालित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पेयजल का प्रबंध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नू' द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एम॰ श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में तम्बाकू उगाने वाले किसानों के हितों की रक्षा के लिए उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ निर्मल खत्री द्वारा प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य सेवियों को उचित मानदेय दिए जाने का उपबंध करने तथा उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रस्तावित फेस-3 मुकुंदपुर-यमुना विहार, दिल्ली मेट्रो रेल लाइन को जहांगीरपुरी तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा रिंगस-श्रीगंगानगर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को हेवी एंड स्माल-ड्यूटी क्रेन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत तिलैया-कोडरमा रेल परियोजना कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला द्वारा बड़ोदरा-मुम्बई एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री बाल कुमार पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निर्वाचन संसदीय क्षेत्र में पीने के लिए तथा सिंचाई के प्रयोजन हेतु जल की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्रीमती सीमा उपाध्याय द्वारा दिल्ली-लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का उत्तर प्रदेश में टुंडला जंक्शन पर ठहराव दिए जाने तथा आगरा-इटावा-बह रेल लाइन परियोजना कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री पूर्णमासी राम द्वारा गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में गोपालगंज और सीवान से होकर हाजीपुर से छपरा तक चार लेन वाले सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री अब्दुल रहमान द्वारा चेन्नई-बंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल गेटों पर टोल टैक्स की बढ़ी हुई दर वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को कार्यान्वित करने संबंधी श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा में खुर्दा-नयागढ़ मार्ग के सुधार को सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति से हटाए जाने और सामान्य बजटीय आबंटन के अंतर्गत इसके सुधार का प्रबंध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री मधु कोड़ा द्वारा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, झारखंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.01 बजे

6. नियम 193 के अधीन चर्चा

आवंटित समय	: 2घंटे
लिया गया समय	: 04 मिनट
शेष	: 1 घंटा 56 मिनट

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्य, श्रीलंका में तमिलों के राहत और पुर्नस्थापन हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उनके कल्याण के संवर्धन हेतु अन्य उपाए किए जाने के बारे में नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा आरंभ करने से पूर्व मुझे एक लघु टिप्पणी करनी है। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, चर्चा का विषय पड़ोसी देश से संबंधित है जिसके साथ हमारा निकट और मित्रवत संबंध है। अत: मैं सदस्यों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करना चाहूंगी कि वे वाद-विवाद के दौरान ऐसा कुछ भी न कहें जिससे उस देश के साथ हमारे संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

मैं माननीय सदस्यों से यह भी आग्रह करती हूं कि वे इस मामले पर व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें और वाद-विवाद का स्तर उच्च रखें।

अब, मैं श्री टी॰आर॰ बालू को चर्चा उठाने के लिए बुला रही हूं।''

तत्पश्चात्, श्री टी॰आर॰ बालू ने श्रीलंका में तमिलों के राहत और पुर्नस्थापन हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनके कल्याण के संवर्धन हेतु अन्य उपायों के बारे में चर्चा उठाई।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.05 बजे

(लोक सभा बुधवार, 17 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—1216LS(S3)—16.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 17 अगस्त, 2011/26 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 170

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रधान मंत्री का वक्तव्य

प्रधान मंत्री ने लोकपाल की स्थापना किए जाने तथा 16.8.2011 को नई दिल्ली में हुई कतिपय घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य दिया।

तत्पश्चात्, कुछ सदस्यों ने प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर स्पष्टीकारक प्रश्नों की मांग की।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

> ''माननीय सदस्य, जैसाकि आपको ज्ञात है, वक्तव्य के तत्काल बाद चर्चा की अनुमति दिए जाने का कोई नियम नहीं है। यदि सभा का विचार चर्चा कराये जाने का है तो मैं एक विशेष मामले के रूप में इस पर नियम 193 के अधीन एक व्यवस्थित चर्चा की अनुमति देती हूं।
>
> आप चर्चा आरंभ करें इससे पूर्व मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूं।
>
> इससे पहले कि मैं श्रीमती सुषमा स्वराज को चर्चा आरंभ करने के लिए बुलाऊं, मैं सभा को सूचित करना चाहूंगी कि संविधान में सदस्यों को सभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। साथ ही, इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमारे स्वयं के स्वअध्यारोपित

प्रतिबंध हैं। तदनुसार, हमारे पास नियम 353 है जिसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने की प्रक्रिया विहित की गई है। अत: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वे वक्तव्य पर वाद-विवाद के दौरान किसी व्यक्ति पर मानहानिकारक अथवा अभियोगात्मक प्रकृति का आरोप न लगाएं।

अब, श्रीमती सुषमा स्वराज।''

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.31 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 221-240 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2531-2760 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (महापत्तन) विकास शुल्क नियम, 2011 जो 2 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 597(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कतिपय डाकघर स्टाफ को रोकड़ सम्भलाई भत्ता देने के लिए 9.7.1999 को घोषित वर्ष 1993 के अनिवार्य माध्यस्थम् संदर्भ संख्या 5 में माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकृत करने के प्रस्ताव के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 442(अ) जो 9 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगौड के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगौड के वर्ष 2008-2009 तथा 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगौड के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) सर्व शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) विश्व-भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 2009-2010 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस राजीव गाँधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस राजीव गाँधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 87 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा पद्धति और प्रक्रिया तथा संवेदनशील व्यक्तिगत आंकड़े अथवा सूचना) नियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 313 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 314(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर कैफे के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 315(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सेवा परिदान) नियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 316(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(26) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

4. प्राक्कलन समिति का विवरण

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'सूखा प्रबंधन, खाद्यान्न उत्पादन तथा मूल्य स्थिति' के बारे में प्राक्कलन समिति (15वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 10वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती चंद्रेश कुमारी ने महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2010-2011) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'अर्द्धसैनिक बलों में महिलाएं' विषय पर समिति के छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 9वां प्रतिवेदन; और

(2) 'सशस्त्र बलों में महिलाएं' विषय पर 10वां प्रतिवेदन।

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी॰ सी॰ चाको ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'ग्रामीण अनुप्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा' के बारे में 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 2011-12 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(3) वर्ष 2011-12 के लिए विद्युत मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री पी॰ सी॰ चाको ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की भूमिका' विषय पर 30वें प्रतिवेदन (चौहदवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

(2) वर्ष 2009-10 के लिए विद्युत मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों के बारे में पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

(3) वर्ष 2010-11 के लिए विद्युत मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

(4) वर्ष 2010-11 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों के बारे में छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

8. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री टी॰ आर॰ बालू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'रेल संपत्ति और यात्रियों का संरक्षण और सुरक्षा' के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन; और

(2) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें—2011-12' संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

9. रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री टी॰ आर॰ बालू ने रेल मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें—2010-11' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'बाँध सुरक्षा विधेयक, 2010' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का सातवां प्रतिवेदन*; और

(2) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन।

11. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

---

*यह प्रतिवेदन, माननीय अध्यक्ष को निदेश 71(क) के अंतर्गत 4.6.2011 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, प्रस्तुत किया गया।

12. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कोयला मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगों (2010-11)'' के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 13वां प्रतिवेदन;

(2) खान मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगों (2010-11)'' के बारे में पाँचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन;

(3) इस्पात मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगों (2010-11)'' के बारे में छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 15वां प्रतिवेदन।

13. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जोस के॰ मणि ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यकरण के बारे में एक सौ इकहत्तरवां प्रतिवेदन; और

(2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पर्यटन के विकास के बारे में एक सौ बहत्तरवां प्रतिवेदन।

14. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (i) ''स्पेक्ट्रम के उपयोग'' के बारे में श्री एस॰ आर॰ जेयदुरई, संसद सदस्य और अन्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2154 के संबंध में 9.3.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

15. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 5 घंटे 15 मिनट

श्रीमती सुषमा स्वराज ने लोकपाल की स्थापना किए जाने तथा 16.8.2011 को नई दिल्ली में हुई कतिपय घटनाओं के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

$1. श्री संजय निरूपम

(लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री शरद यादव
5. श्री टी॰ के॰ एस॰ इलेंगोवन
6. श्री बसुदेव आचार्य
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
9. श्री गुरुदास दासगुप्त
10. श्री लालू प्रसाद
11. श्री संजय सिंह चौहान
12. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
13. श्री योगी आदित्यनाथ
14. कुमारी मीनाक्षी नटराजन
15. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार

*16. श्री हंसराज गं॰ अहीर

*17. श्री नारनभाई कछाड़िया

18. श्री नरहरि महतो

$उन्होंने अपना भाषण सभा के पुन: समवेत होने के पश्चात् पूरा किया।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

19. डॉ॰ तरुण मंडल

*20. श्री अर्जुन मेघवाल

21. श्री कपिल सिब्बल

*22. श्रीमती पोन्नम वेलजीभाई जाट

*23. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

24. श्री कृष्टप्पा निम्माला

25. श्री तिरुमावलावन

*26. श्री सतपाल महाराज

*27. श्री वीरेन्द्र कश्यप

*28. श्री राम सिंह कस्वां

*29. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू

अध्यक्षपीठ द्वारा चर्चा का उत्तर देने के लिए गृह मंत्री को बुलाए जाने पर, श्री गुरुदास दासगुप्त ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि चूंकि वक्तव्य प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, परंपरा के अनुसार, उन्हें ही चर्चा का उत्तर देना चाहिए।

तत्पश्चात्, अध्यक्षपीठ द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई:—

> ''माननीय सदस्य, मैं सहमत हूं कि परंपरा के अनुसार किसी वक्तव्य पर चर्चा का उत्तर आम तौर पर वक्तव्य देने वाले मंत्री द्वारा दिया जाता है। वक्तव्य, मुख्य विपक्षी दल और कुछ अन्य दलों की मांग पर प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। तथापि, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि चर्चा का विषय मुख्यत: गृह मंत्रालय से संबंधित है। अत: मैं सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वे प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने पर जोर न दें।

अब, माननीय गृह मंत्री।''

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

#16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से होकर बांग्लादेश के साथ सीमा पार व्यापार शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#अपराह्न 2.00 बजे

(2) श्री कोडीकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में विशेष रूप से अलपुझा जिले में जलजन्य और वेक्टरजन्य रोगों के निवारण हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब में विशेष रूप से होशियारपुर जिले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल विक्रेताओं के कैम्प स्टोर्स से चावल उठाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ क्रुपारानी किल्ली द्वारा न्यायाधिकरण के कार्य को सुकर बनाने के लिए वंशधारा जल-विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को सामान्य पूल के आवासीय भवन से आवास सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान में नाथद्वार से मारवाड़ के बीच की रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिणत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के समतुल्य उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा महाराष्ट्र में जलगांव को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा धनबाद, झारखण्ड से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बसावट वाले क्षेत्रों में जल और गैस विस्फुटन को रोकने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री प्रेमदास कथीरिया द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री विजय बहादुर सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पान की खेती करने वालों के लिए प्रतिकर और सिंचाई की सुविधा का उपबंध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंचाने नदी की ड्रेजिंग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के सेलम जिले में आदिलमलाइकाडु से केमामट्टी तक नई सड़क के निर्माण हेतु वन भूमि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री गणेशराव एन॰ दूधगांवकर द्वारा जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ स्राइन के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री जयंत चौधरी द्वारा घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा के लिए रियल इस्टेट विनियामक प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर से पारादीप तक एसी कोच वाली सवारी रेलगाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री जोस के॰ मणि द्वारा केरल के वेमबनाड झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित झीलों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*सायं 7.06 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 18 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.22 बजे से सायं 7.06 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1275LS(S3)—17.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 18 अगस्त, 2011/27 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 171

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241—243 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.22 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 244—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2947 और 2949—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) संविधान के अनुच्छेद 350(ख) के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के जुलाई, 2008 से जून, 2010 तक की अवधि के लिए 47वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या उनत्तीस	पन्द्रहवां सत्र, 1995

ग्यारहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या चालीस	तीसरा सत्र, 1996
3. विवरण संख्या इकतालीस	चौथा सत्र, 1997

तेरहवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या पैंतीस	सातवां सत्र, 2001
5. विवरण संख्या इकतीस	ग्यारहवां सत्र, 2002
6. विवरण संख्या उनतीस	चौदहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

7.	विवरण संख्या छब्बीस	दूसरा सत्र, 2004
8.	विवरण संख्या चौबीस	तीसरा सत्र, 2004
9.	विवरण संख्या पच्चीस	चौथा सत्र, 2005
10.	विवरण संख्या बाईस	पांचवां सत्र, 2005
11.	विवरण संख्या इक्कीस	छठा सत्र, 2005
12.	विवरण संख्या इक्कीस	सातवां सत्र, 2006
13.	विवरण संख्या अठारह	आठवां सत्र, 2006
14.	विवरण संख्या अठारह	नौवां सत्र, 2006
15.	विवरण संख्या सत्रह	दसवां सत्र, 2007
16.	विवरण संख्या पन्द्रह	ग्यारहवां सत्र, 2007
17.	विवरण संख्या चौदह	बारहवां सत्र, 2007
18.	विवरण संख्या बारह	तेरहवां सत्र, 2008
19.	विवरण संख्या दस	चौदहवां सत्र, 2008
20.	विवरण संख्या नौ	पन्द्रहवां सत्र, 2009

पन्द्रहवीं लोक सभा

21.	विवरण संख्या आठ	दूसरा सत्र, 2009
22.	विवरण संख्या छह	तीसरा सत्र, 2009
23.	विवरण संख्या छह	चौथा सत्र, 2010
24.	विवरण संख्या तीन	पांचवां सत्र, 2010
25.	विवरण संख्या दो	छठा सत्र, 2010
26.	विवरण संख्या एक	सातवां सत्र, 2011

(6) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल (वैगन पर सीमा से अधिक भार लादने के लिए दंडात्मक प्रभार) संशोधन नियम, 2011 जो 1 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 595(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) चार्टर्ड आकउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22क की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना का॰आ॰ 567(अ) जो 15 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 789(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(9) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) अधिसूचना सं॰ ईएल-2011/16 जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 3 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं॰ ईएल-2011/1 से ईएल-2011/9 का शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में) दिया हुआ है।

(दो) अधिसूचना सं॰ ईएल-2011/25 जो 25 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो परिषद् और क्षेत्रीय परिषद्, 2011 के लिए निर्वाचन-मतदाताओं से मतपत्रों को डाक से वापस प्राप्त करने की अंतिम तारीख और समय बढ़ाए जाने के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना सं॰ ईएल-2011/26 जो 14 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की 18वीं परिषद् के वर्ष 2011—2015 की अवधि के लिए निर्वाचित घोषित किए गए सदस्यों के बारे में है।

(चार) अधिसूचना सं॰ ईएल-2011/27 जो 14 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की चार क्षेत्रीय परिषदों के वर्ष 2011—2015 की अवधि के लिए निर्वाचित घोषित किए गए सदस्यों के बारे में है।

(10) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (परिषद् के लिए निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 110(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 10 मई, 2011 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 372(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत कंपनी सचिव (परिषद् के लिए निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 111(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र

जो 10 मई, 2011 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 373(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् के लिए निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 112(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 8 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 196(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कंपनी (लागत लेखाकरण अभिलेख) नियम, 2011 जो 3 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 429(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) नियम, 2011 जो 3 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 430(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) 27 जुलाई, 2005 को एमएचएन प्लेटफार्म फायर संबंधी स्वतंत्र जांच समिति का प्रतिवेदन (भाग I और II) तथा उस पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री विजय बहादुर सिंह ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत किया।

5. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पन्ना लाल पूनिया ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की अनुदानों की माँगों (2011-12) संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

*अपराह्न 12.03 बजे

6. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 2011

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.10 *बजे स्थगित हुई और*
अपराह्न 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई*)

अपराह्न 2.00 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 12.10 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखण्ड में सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों और अलग-अलग पारिवारिक शौचालयों के निर्माण पर राजसहायता की दर बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा न्यायालयों के निर्णयों की प्रतियां हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री दत्ता मेघे द्वारा महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ के अनुयाइयों द्वारा पूजे गए प्राचीन कुएं 'जगतिक मानवता' के निकट से गुजरने वाली अमरावती-नारखेड़ रेल लाइन का मार्ग बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ चार्ल्स डिएस द्वारा केरल में कुंडानूर से पुथेनक्रूज तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 पर बाईपास रोड का निर्माण तेजी से किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में एक राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखण्ड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए बेहतर रेल संपर्क बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय के पश्चात् इसके अस्थायी कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सेना की फायरिंग रेंज के निकट पूर्णत: नागरिकों के उपयोग के लिए एक सड़क बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती यशोधरा राजे सिन्धिया द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ सुचारू रंजन हल्दर द्वारा बांग्लादेश में औद्योगिक इकाइयों से होने वाले बहि:स्राव से पश्चिम बंगाल में माताबंगा नदी को बचाए रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री बंस गोपाल चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री सी॰ राजेन्द्रन द्वारा तमिलनाडु को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कैरोसिन तेल के आबंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार के हाजीपुर में गांधी आश्रम को एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने तथा जुब्बा सहनी, बैकुंठ शुक्ला, योगेन्द्र शुक्ला एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री कामेश्वर बैठा द्वारा झारखण्ड के सूखा प्रभावित पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.01 बजे

8. सरकारी विधेयक—पारित

(एक) *भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक,* 2011

लिया गया समय: 3 घंटे 37 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ संजय जायसवाल
2. डॉ॰ ज्योति मिर्धा
3. श्री आर॰ थामराईसेलवन
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
6. श्री महेश्वर हजारी
7. डॉ॰ रत्ना डे नाग
8. डॉ॰ पुलिन बिहारी बासके
9. श्री लालू प्रसाद
10. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव
11. श्री प्रबोध पाण्डा

12. श्री के॰ सुगुमार

13. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

14. डॉ॰ प्रभा किशोर ताविआड

15. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

16. डॉ॰ तरुण मंडल

17. श्री पी॰ डी॰ राय

18. श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी

19. श्री थोल तिरुमावलावन

श्री गुलाम नबी आजाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री गुलाम नबी आजाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 5.39 बजे

(दो) *जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) विधेयक,* 2011, *राज्य सभा द्वारा यथा पारित।*

लिया गया समय: 5 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा पेश किया गया।

डॉ॰ संजय जायसवाल ने स्पष्टीकारक प्रश्न पूछा।

श्री गुलाम नबी आजाद ने उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री गुलाम नबी आजाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*सायं 6.56 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 19 *अगस्त,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

---

*सायं 5.44 बजे से सायं 6.56 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1307LS(S3)—18.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 19 अगस्त, 2011/28 श्रावण, 1933 (शक)

संख्या 172

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261—264 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 265—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6)(एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा कार्यनिष्पादन रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 6 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआर/696/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आंध्रा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2009 जो 24 जून, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/पी/56 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2009 जो 4 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/पीईएन/अमेंड/1/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विजया बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2009 जो 8 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वीबी/पीईआर/पीएएण्डपीडी/पेन्स/1386/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 22 अप्रैल, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीडब्ल्यूपीएम 9098 78 डीके में प्रकाशित हुए थे।

(10) उपर्युक्त (9) की मद संख्या (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत शोध्य ऋण वसूली अधिकरण (अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पद्धति) संशोधन नियम, 2011 जो 18 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 224(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य संशोधन विनियम, 2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 6677/सीएडी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा (5) की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1500(अ) जो 1 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए ''अभिहित भारतीय वाहक'' के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 567(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 23/2011-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 568(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 591(अ) जो 29 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तीसरा (संशोधन) नियम, 2011 जो 28 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 581(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 571(अ) जो 26 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणतंत्र, जापान, कोरिया गणतंत्र, मलेशिया, रूस, ताईवान और थाईलैंड में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित पोली विनाईल क्लोराईड पेस्ट रेसिन के आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात 26 जुलाई, 2010 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 582(अ) जो 28 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं सम्बद्ध शुल्क महा-निदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांचों के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्षों की और अवधि के लिए यूरोपीय संघ, चीन जनवादी गणराज्य, चीनी

ताईपेई एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कतिपय रबड़ रसायनों अर्थात एमओआर, पीएक्स 13 एवं टीडीक्यू के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 602(अ) जो 5 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम फार्मलडिहाईड, सल्फोक्सिलेट के आयात पर प्रतिपाटन एवं सम्बद्ध शुल्क महा-निदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांचों के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्षों की और अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 592 (अ) जो 29 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 593 (अ) जो 29 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उद्गम के नियमों की पूर्ति के अध्यधीन भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार के अंतर्गत आयातित विनिर्दिष्ट मालों के लिए अधिमान टैरिफ विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 596 (अ) जो 2 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 16/2011-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) वित्त अधिनियम, 2011 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 583(अ) जो 28 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अगस्त, 2011 को उक्त अधिनियम की धारा 57 के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) वित्त अधिनियम, 2011 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 584(अ) जो 28 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अगस्त, 2011 को उक्त अधिनियम की धारा 76 के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) वित्त अधिनियम, 2011 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 580(अ) जो 28 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अगस्त, 2011 को उक्त अधिनियम की धारा 62 के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(20) 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:—

(एक) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली

(दो) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव

(तीन) नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हल्द्वानी

(चार) नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, इंदौर

(पांच) श्रेयश ग्रामीण बैंक, अलीगढ़

(छह) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, अजमेर

(सात) वेनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक, सोलापुर

(आठ) हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

(नौ) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अलवर

(दस) हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा

(ग्यारह) नीलाचल ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर

(बारह) आर्यव्रत ग्रामीण बैंक, लखनऊ

(तेरह) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच

(चौदह) प्रगति ग्रामीण बैंक, बेल्लारी

(पन्द्रह) नागालैण्ड ग्रामीण बैंक, कोहिमा

(सोलह) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी

(सत्रह) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडापा

(अठारह) डेक्कन ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

(उन्नीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर

(बीस) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद

(इक्कीस) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरगुजा

(बाईस) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

(तेईस) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, बांदा

(चौबीस) कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक, मैसूर

(पच्चीस) सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

(छब्बीस) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ

(सत्ताईस) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी

(21) दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना* संख्या सा॰का॰नि॰ 932(अ) को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिसिएंसी (ऊर्जा लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए रीति और समय अंतराल) विनियम, 2010 जो 28 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 02/11(6)/05-बीईई में प्रकाशित हुए थे।

---

*उक्त अधिसूचना 12 अगस्त, 2011 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी।

(दो) ऊर्जा संरक्षण (निरीक्षण) नियम, 2009 जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 645(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिसिएंसी (ऊर्जा प्रबंधकों के लिए प्रमाणन प्रक्रियाएं) विनियम, 2010 जो 30 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/11(2)/07-बीईई में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिसिएंसी (प्रत्यायित ऊर्जा लेखापरीक्षकों के लिए अर्हता और उनकी सूची का अनुरक्षण) विनियम, 2010 जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 02/11(7)/09-बीईई में प्रकाशित हुए थे।

(23) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विद्युत अपीलीय अधिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) नियम, 2011 जो 21 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 558(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2011 जो 2 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 22 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर का शुल्क और प्रभार तथा अन्य संबंधित मामले) (पहला संशोधन) विनियम, 2011 जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/145(160)/ 2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा ने 18 अगस्त, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में कलकत्ता

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सौमित्र सेन को पद से हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने हेतु समावेदन पारित किया। महासचिव ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सौमित्र सेन को पद से हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने हेतु राज्य सभा द्वारा पारित समावेदन सभा पटल पर भी रखा।

*(दो) कि राज्य सभा ने 19 अगस्त, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 पारित किया।

***5. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित—सभा पटल पर रखा गया।**

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:—

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित "ग्रामीण अनुप्रयोगों संबंधी नवीकरणीय ऊर्जा" के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण" के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित "लघु और न्यून जल विद्युत परियोजना" के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.03 बजे

7. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 23 अगस्त, 2011 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

---

*सायं 6.00 बजे।

*अपराह्न 12.11 बजे

8. दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी॰ सी॰ चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया।

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति में श्री सीताराम येचुरी की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्ति पर राज्य सभा से एक सदस्य को नियुक्त करे और राज्य सभा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.01 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010

लिया गया समय: 2 घंटे 26 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री कपिल सिब्बल द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जनार्दन स्वामी
2. श्री भक्त चरण दास
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री धनंजय सिंह
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री पी॰ के॰ बिजू
7. श्री भर्तृहरि महताब

---

*अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 1.01 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

8. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई

9. श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन

10. श्री प्रबोध पांडा

11. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

12. श्री अर्जुन मेघवाल

13. श्री पी॰ डी॰ राय

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

श्री कपिल सिब्बल ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 के सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 1क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 1क भी स्वीकृत हुआ।

श्री कपिल सिब्बल ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 के सरकारी संशोधन संख्या 4 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 1ख को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 1ख भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 से 6 स्वीकृत हुए।

खण्ड 7, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 से 11 स्वीकृत हुए।

खण्ड 12, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 3.28 बजे

10. **सरकारी विधेयक—विचाराधीन**

सीमा-शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011

आबंटित समय	: 1 घंटा
लिया गया समय	: 4 मिनट
शेष	: 56 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किया गया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.32 बजे

11. प्रस्ताव

श्री विजय बहादुर सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 18 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.33 बजे

12. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री हंसराज गं॰ अहीर का भारतीय भाषाओं में विज्ञान, इंजीनियरी और आयुर्विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोग विधेयक, 2011

(2) श्री हंसराज गं॰ अहीर का गौ संरक्षण प्राधिकरण विधेयक, 2011

(3) श्री हंसराज गं॰ अहीर का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुसूची का संशोधन)।

(4) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का गुटका और पान मसाला (प्रतिषेध) विधेयक, 2011

(5) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)।

(6) श्री अधीर रंजन चौधरी का अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2011

(7) श्री अधीर रंजन चौधरी का अंतर-राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2011

(8) श्री अर्जुन मेघवाल का विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक, 2011

(9) डॉ॰ भोला सिंह का पटना विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

(10) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील का सरकारी सेवाएं (अनुकंपा नियुक्तियों का विनियमन) विधेयक, 2011

(11) श्री एन्टी॰ नाना पाटील का टेलीविजन कार्यक्रम (विनियमन) विधेयक, 2011

(12) श्री पन्ना लाल पुनिया का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए *अनुच्छेद 16क, आदि का अंत:स्थापन)।*

(13) श्री अर्जुन मेघवाल का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2011

अपराह्न 3.41 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापस लिया गया

प्रो॰ रंजन प्रसाद यादव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 *(नए अनुच्छेद 275क और 371ञ का अंत:स्थापन)।*

प्रो॰ रंजन प्रसाद यादव द्वारा 11 मार्च, 2011 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन राय
2. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
3. श्री मंगनी लाल मंडल
4. श्री जगदानन्द सिंह
5. श्री महाबली सिंह
6. श्री भूदेव चौधरी
7. डॉ॰ मोनाजिर हसन
8. चौधरी लाल सिंह
9. श्री नमोनारायण मीणा

प्रो॰ रंजन प्रसाद यादव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

सायं 5.56 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन

श्री सतपाल महाराज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)।

श्री सतपाल महाराज द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 23 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—1372LS(S3)—19.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 23 अगस्त, 2011/1 भाद्रपद, 1933 (शक)

संख्या 173

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.11 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 281—300 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3)(एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड वस्तु) (संशोधन) नियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 318(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 317(अ) जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 7 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 71(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(तीन) विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड वस्तु) नियम, 2011 जो 9 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 202(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 21 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 559(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(11) पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त मद संख्या (7) से (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2011-12 का संख्यांक 10)—वैज्ञानिक विभाग—मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत में चाय विकास में चाय बोर्ड की भूमिका की कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2011-12 का संख्यांक 12)—प्रत्यक्ष कर—मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सिविल निर्माण का कार्य।

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2011-12 का संख्यांक पीए 14)—रेल—मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा।

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, संघ सरकार (2011-12 का संख्यांक 15)—अप्रत्यक्ष कर—सेवा कर और सीमा शुल्क—कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा—मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंककारी तथा अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर तथा ड्यूटी ड्राबैक स्कीम।

(17) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) संपदा निदेशालय का॰ज्ञा॰सं॰ 12035/2/97-नीति II (भाग II) दिनांक 17.11.1997 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप 5% विवेकाधीन कोटा के अधीन किए गए आवंटनों के बारे में 31 दिसम्बर, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह "क" और "ख" सिविलियन राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011, जो 8 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 438(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल समूह "क" अग्नि संवर्ग पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2011, जो 24 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 253(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(20) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011, जो 27 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 489(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल हेड कांस्टेबल, समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड (अराजपत्रित) मोटर ट्रांसपोर्ट और मैकेनिक संवर्ग पद भर्ती नियम, 2011, जो 5 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 300(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड (अराजपत्रित) पैरा-पशुचिकित्सा पद भर्ती नियम, 2011, जो 8 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 440(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(21) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सीमा सुरक्षा बल, कम्बैटाइज्ड सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय), भर्ती नियम, 2011, जो 9 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 120 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट/ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एण्ड प्रोग्रामर/असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती नियम, 2011 जो 21 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 335(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(22) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कम्बेटेंट अनुसचिवीय और कम्बेटेंट आशुलिपिक संवर्ग समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2011, जो 20 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 392(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, असिस्टेंट कमांडेंट (ऑफिस) और असिस्टेंट कमांडेंट (स्टाफ ऑफिसर) (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2011, जो 20 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 393(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 391(अ) जो 20 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 28 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1019(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(चार) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरी संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2011, जो 27 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 411(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, परा चिकित्सा संवर्ग (समूह 'क', 'ख' और 'ग' पद) संशोधन भर्ती नियम, 2011, जो 27 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, समूह 'क' (राजपत्रित) अनुसचिवीय पद भर्ती नियम, 2011, जो 10 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 206(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(23) उपर्युक्त (22) की मद संख्या (छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

***3. कृषि संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं—एक मूल्यांकन' के बारे में कृषि संबंधी समिति का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने (i) 'युवाओं के लिए नवोन्मुखी पाठ्यक्रम' के बारे में श्री के॰ सुधाकरण, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3018 के संबंध में 15.3.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ निलेश नारायण राणे द्वारा महाराष्ट्र में पोलाडपुर और पत्रादेवी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 को चार लेन में परिवर्तित करने के लिए शीघ्र अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन के विकल्प दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 2.01 बजे

(3) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी से संबंधित निर्धन और बेघर लोगों को मकान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में बोट रेसिंग एसोसिएशन को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नू' द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हरिन पाठक द्वारा गुजरात में ताप विद्युत यूनिटों को वेस्टर्न कोल फील्ड्स से कोयले का आबंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा देश में मैला ढोने की प्रथा को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले प्रवासी बंगाली और सिंधी लोगों को भूमि के स्वामित्व देने तथा जाति प्रमाणपत्र दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री बाल कुमार पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश में 'गोड' जनजाति के सभी लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मदरशाह की दरगाह के स्थल को राष्ट्रीय महत्व के एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री महेश्वर हज़ारी द्वारा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता मांगने वाले रोगियों को तुरंत वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु में किसानों को कृषि ऋण देने तथा पर्याप्त मात्रा में राजसहायता-प्राप्त उर्वरक दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा केरल के पलक्कड़ में नडक्कावु पर सड़क ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री मोहन जेना द्वारा उड़ीसा में ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन के अंतर्गत एक नया रेल डिवीज़न बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आंध्र सीमेंट कंपनी को पुनः खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.10 बजे

6. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

''माननीय सदस्यों, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग है। मुझे सभा को यह सूचित करना है कि 16 माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 193 के अधीन सूचनाएं सभा पटल पर रखी हैं। सर्वश्री गुरुदास दासगुप्त, अनंत कुमार हेगड़े, राजीव रंजन सिंह, दिनेश चन्द्र यादव, डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी और श्रीमती सुमित्रा महाजन की 6 सूचनाएं 15 जुलाई, 2011 को 10.00 बजे समय पर पहले प्राप्त हुई। इन सूचनाओं का बैलट किया गया तथा श्री अनंत कुमार हेगड़े द्वारा सभा पटल पर रखी गई सूचना को बैलट में पहली प्राथमिकता प्राप्त हुई है।

श्री हेगड़े ने चूंकि मुझसे अनुरोध किया है कि उनकी ओर से चर्चा उठाने के लिए डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी को अनुमति दी जाए। मैंने डॉ॰ जोशी को चर्चा उठाने की अनुमति दे दी है।''

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.13 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.03 बजे

(लोक सभा बुधवार, 24 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—1441LS(S3)—23.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 24 अगस्त, 2011/2 भाद्रपद, 1933 (शक)

संख्या 174

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301—304 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 305—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा (14) की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी (सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी), शिमला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी (सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी), शिमला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आइजोल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आइजोल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, पणजी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, पणजी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (सदर्न रीजन), चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (सदर्न रीजन), चेन्नई के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010–11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.01 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा देश में सर्राफा बाजार को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री एम॰आई॰ शानवास द्वारा कालीकट और बंगलुरू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 212 पर स्थित वायानाड पास को चौड़ा किए जाने तथा विद्यमान वैकल्पिक सड़कों को वायानाड से जोड़ते हुए केरल के अन्य भागों के लिए खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा में भिवानी में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयानगरम जिले में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने तथा इस जिले में विद्यमान केन्द्रीय विद्यालय के लिए पूर्णकालिक शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री इज्यराज सिंह द्वारा राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन का एक विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान में पेयजल की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल परियोजनाओं पर कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में डाबरा ब्लॉक से गुजरने वाली चार लेन वाली सड़क पर उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान के झालावाड़–बारन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अफीम उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत पत्राचार पाठयक्रम और सतत शिक्षा संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन का नियमित भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती अश्वमेध देवी द्वारा बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को अन्य राज्यों में कार्यरत शिक्षकों के बराबर मानदेय का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ रत्ना डे नाग द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में नावों के निर्माताओं के कल्याण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री पी॰आर॰ नटराजन द्वारा तमिलनाडु के कोयंबटूर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अर्जन प्रक्रिया में निवासियों और आम जनता के हितों का ध्यान रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में अनुसूचित जाति 'धंगड़' का हिन्दी भाषा में नाम ठीक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री पी॰ लिंगम द्वारा तमिलनाडु की इंटीगरल कोच फैक्ट्री, पेरम्बुर में प्रशिक्षित शिक्षुओं की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ तरुण मंडल द्वारा पूर्वी रेलवे के सियालदाह-लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना, सियालदाह-डायमंड हार्बर और सियालदाह-केनिंग लाइन्स पर रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने तथा सियालदाह दक्षिण खंड में रेल लाइनों के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.02 बजे

7. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 5 घंटे 46 मिनट

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने देश में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के॰ एस॰ राव
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री शरद यादव
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री बसुदेव आचार्य
6. डॉ॰ रत्ना डे नाग
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री प्रबोध पाण्डा
9. श्री शेर सिंह घुबाया

*10. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण

*11. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*12. श्रीमती पुतुल कुमारी

*13. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

*14. श्री कमल किशोर कमांडो

15. श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह

*16. श्री पी॰ एल॰ पुनिया

*17. एडवोकेट ए॰ सम्पत

18. श्री भक्त चरण दास

*19. श्री हर्षवर्धन

20. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

*21. श्रीमती संतोष चौधरी

*22. डॉ॰ मेहबूब बेग

*23. श्री अर्जुन मेघवाल

*24. श्री शैलेन्द्र कुमार

*25. श्री प्रेमदास कथीरिया

26. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक

*27. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू

28. श्री देवेन्द्र नागपाल

*29. श्री एम॰बी॰ राजेश

*30. डॉ॰ निर्मल खत्री

31. श्री शरीफुद्दीन शारीक

*32. श्री पी॰ करुणाकरन

*33. श्री संजय धोत्रे

34. श्री अनंत कुमार हेगड़े

*35. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट

36. डॉ॰ तरुण मंडल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*37. श्री घनश्याम अनुरागी

38. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार

39. श्री सी॰ राजेन्द्रन

*40. श्रीमती ज्योति धुर्वे

*41. श्री नारनभाई कछाड़िया

*42. श्री रामशंकर राजभर

*43. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

*44. डॉ॰ थोकचोम मैन्या

*45. श्री मोहन जेना

*46. डॉ॰ चार्ल्स डिएस

*47. श्री लक्ष्मण टुडु

@48. श्री एच॰डी॰ देवेगौडा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री हरीश रावत ने कार्य मंत्रणा समिति का 29वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

$सायं 6.31 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 25 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

@अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाने के पश्चात् बोले।

#अपराह्न 4.07 बजे

$सायं 5.25 बजे से सायं 6.06 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1489LS(S3)—24.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 (शक)

संख्या 175

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्य द्वारा निवेदन

श्रीमती सुषमा स्वराज ने लोकपाल विधेयक पर श्री अन्ना हजारे के अनशन से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किया।

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

2. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई)

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 322—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2011-12 का संख्यांक 3)–मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) एचएमटी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रतिवेदन संख्या 235–अन्य धर्म में संपरिवर्तन/पुन:संपरिवर्तन–साक्ष्य का तरीका—दिसम्बर, 2010

(दो) प्रतिवेदन संख्या 236–निगमित वाद की तुलना में उच्चतम न्यायालय में न्यायालय-शुल्क—दिसम्बर, 2010

(4)(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत, चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक तथा अन्य कदाचार और आचरण के मामलों के अन्वेषण की प्रक्रिया)

संशोधन नियम, 2011 जो 22 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 226(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत, लागत और संकर्म अकाउंटेंट गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों की सेवा तथा भत्तों की शर्तें (संशोधन) नियम, 2011 जो 15 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 211(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत, कंपनी लॉ बोर्ड (सदस्यों की अर्हता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 2 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 502(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बीसवाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सातवाँ प्रतिवेदन तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राव इन्द्रजीत सिंह ने 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत डाकघरों द्वारा श्रमिकों को मजदूरी का संवितरण' विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 24 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.02 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखेः—

(1) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखण्ड में श्रीनगर जल-विद्युत परियोजना पर कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री के॰पी॰ धनपालन द्वारा न्यू सबरी और इडापल्ली-गुरुवायूर रेल लाईन के कार्य में तेजी लाए जाने तथा केरल के चलाकुड्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पन्नालाल पुनिया द्वारा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घाघरा नदी द्वारा उत्पन्न बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु उपाय किए जाने तथा क्षेत्र के प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रघुवीर सिंह मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अंतर्गत बच्चों को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री महाबल मिश्रा द्वारा दिल्ली में बहु-स्तरीय और भूमिगत पार्किंग परिसरों के निर्माण की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र में गोसीखुर्द परियोजना कार्य के समापन में तेजी लाए जाने तथा उन किसानों, जिनकी जमीन परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त प्रतिकर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ क्रुपारानी किल्ली द्वारा आंध प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एफएम रेडियो स्टेशन को प्रचालनात्मक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा उत्तर-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नया मास रैपिड पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कीम बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री पी॰टी॰ थॉमस द्वारा इलायची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री गणेश सिंह द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री के॰डी॰ देशमुख द्वारा मध्य प्रदेश में बारघाट से होकर सिवनी से कटंगी तक नई बड़ी रेल लाईन बिछाए जाने की स्वीकृति दिए की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती विजय चक्रवर्ती द्वारा बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री रमेन डेका द्वारा 'भूमि अपरदन' को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में बदायूं के रास्ते बरेली से कासगंज तक और इटावा से मैनपुरी तक की रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिणत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ सुचारू रंजन हल्दर द्वारा पश्चिम बंगाल के रानाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रानाघाट मिशन गेट पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर एक रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री सी॰ सिवासामी द्वारा वस्त्र क्षेत्र को सुलभ ब्याज दर पर ऋण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री जगदानन्द सिंह द्वारा पटना से होकर फरक्का बराज से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को बड़े जहाजों के लिए नौवहनात्मक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ महबूब बेग द्वारा जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय सरकार के रिक्त पदों को भरे जाने तथा कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.03 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) डा॰ मुरली मनोहर जोशी द्वारा 24 अगस्त, 2011 को देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

लिया गया समय: 6 घंटे 10 मिनट

निम्नलिखित सदस्यों ने अपना लिखित भाषण पटल पर रखा:—

1. श्री सतपाल महाराज
2. श्री हंसराज गं॰ अहीर

डा॰ मनमोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने लोकपाल विधेयक पर श्री अन्ना हजारे के अनशन के कारण उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की और उनसे अपना अनशन समाप्त करने की अपील की।

सभा की ओर से माननीय अध्यक्ष ने अपनी चिंता व्यक्त की और श्री अन्ना हजारे से अपना अनशन समाप्त करने की अपील की।

(दो) श्री टी॰आर॰ बालू द्वारा 16 अगस्त, 2011 को श्रीलंका में तमिलों के राहत और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों तथा उनके कल्याण के संवर्द्धन हेतु किए गए अन्य उपायों के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

लिया गया समय: 3 घंटे 35 मिनट

श्री टी॰आर॰ बालू ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जसवंत सिंह
2. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री धनंजय सिंह
5. श्री शरद यादव
6. श्री पी॰आर॰ नटराजन
7. डा॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
8. डा॰ एम॰ तम्बिदुरई
9. श्री पी॰ लिंगम
10. श्री ए॰ गणेशमूर्ति
11. श्री अधीर रंजन चौधरी

12. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

*13. श्री अर्जुन मेघवाल

14. श्री नृपेन्द्र नाथ राय

15. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार

*16. डॉ॰ चार्ल्स डिएस

17. डॉ॰ तरूण मंडल

*18. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण

19. श्री थोल तिरूमावलावन

*20. श्री वीरेन्द्र कुमार

*21. श्री नारनभाई कछाड़िया

*22. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.04 बजे

10. सरकारी विधेयक — पारित

(एक) सीमा शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011

लिया गया समय: 1 घंटा 20 मिनट

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 19 अगस्त, 2011 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री उदय सिंह

2. श्री शैलेन्द्र कुमार

3. श्री विजय बहादुर सिंह

4. श्री अर्जुन राय

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

5. श्री आर॰ थामराईसेलवन

6. डॉ॰ के॰ सांबासिवा राव

7. श्री पी॰आर॰ नटराजन

8. श्री भर्तृहरि महताब

9. श्री एस॰ सेम्मलई

10. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से श्री नमो नारायन मीणा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नमो नारायन मीणा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011

लिया गया समय: 37 मिनट

श्री कपिल सिब्बल की ओर से श्रीमती डी॰ पुरन्देश्वरी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. हुकमदेव नारायण यादव

2. श्री पी॰ विश्वनाथन

3. श्री शैलेन्द्र कुमार

4. श्री विजय बहादुर सिंह

5. श्री पी॰आर॰ नटराजन
6. श्री आर॰ थामराईसेलवन
7. श्री एस॰ सेम्मलई
8. डॉ॰ के॰ सांबासिवा राव

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 34 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*सायं 7.11 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 26 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

---

*सायं 6.02 बजे से सायं 7.11 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1544LS(S3)—25.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 26 अगस्त, 2011/4 भाद्रपद, 1933 (शक)

संख्या 176

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341—346 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 347—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत भारत में आवास की प्रवृत्ति तथा प्रगति, 2010 के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पर्वतीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 1 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ एचआर/623-2010-11 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋषिकुल्या ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ एलआर सं॰ 0099/3/जी/27/62 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उत्कल ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 17 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ पीईआर/1256 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सर्व यू॰पी॰ ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 11 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कार्मिक/2879/10 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) मध्य भारत ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 27 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 339 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 22 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरआरबी/29/937 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) एमजीबी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 272/ एम॰जी॰बी॰ में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 30 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 277 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) उत्तरांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 11 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीजीबी/एचओ/2010/कार्मिक/680 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) हड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 11 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच॰ओ॰ 29/2010-11/मान॰एस॰वी॰/2558 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) पांड्यन ग्राम बैंक स्टाफ (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी/01/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 19 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ एमबीजीबी/एचओ/एचआरडी/सी-37/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) मिजोरम ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 29 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एम॰आर॰बी॰/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) शारदा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 22 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच॰ओ॰/ सी॰एस॰ 157 में प्रकाशित हुए थे।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कुमारक्रुप्पा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमारक्रुप्पा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 25 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित कर दिया है।

5. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2011

6. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री राव इन्द्रजीत सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) डाक विभाग की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 10वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(4) दूरसंचार विभाग की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(5) डाक विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के पांचवे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी

16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(6) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

7. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

(2) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

8. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे-की-गई-अनुवर्ती कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि-संसाधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2005-06)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 16वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि-संसाधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 31वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(4) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 45वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(5) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के 'ग्रामीण आवास' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 46वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(6) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2009-10)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 10वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(7) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि-संसाधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2009-10)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 11वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(8) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2009-10)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(9) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2010-11)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(10) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2010-11)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 16वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(11) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेय जल और स्वच्छता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2010-11)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(12) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2010-11)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

*अपराह्न 12.23 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 24 मिनट

श्री टी॰आर॰ बालू द्वारा 16 अगस्त, 2011 को श्रीलंका के तमिलों के राहत, पुनर्वास तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देने संबंधी अन्य उपायों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

श्री एस॰एम॰ कृष्णा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.12 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.16 बजे पुन: समवेत हुई)

---

*अपराह्न 12.02 बजे से अपराह्न 12.23 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.16 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री पी॰सी॰ चाको द्वारा केरल में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कमल किशोर कमांडो द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ और अगजनी के कारण जो लोग बेघर हो गए हैं, उनके लिए रिहायशी एकक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एंटो एंटोनी द्वारा सीबीएसई स्कूलों में फिर से परीक्षा प्रणाली बहाल किए जाने तथा स्वत: प्रोन्नयन प्रणाली को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री मानिक टैगोर द्वारा देश में स्वदेशी पटाखा उद्योग विशेष रूप से शिवकाशी के उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए पटाखों की तस्करी रोके जाने तथा इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री भक्त चरण दास द्वारा देश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ संजय जायसवाल द्वारा बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले से होकर बहने वाली सरिस्वा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा मृतक माता-पिता तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालय में नामांकन का कोटा नियत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड के दुमका, गोड्डा, देवघर, जामतारा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले को नक्सल प्रभावित जिले के लिए एकीकृत कार्य योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जंगल और फसल की सुरक्षा के लिए 'फायर वाचर' और 'गार्ड' को प्रतिनियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रामकिशुन द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मटकुट्टा में समपार पर रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शहर के शिल्पकारों द्वारा बनाए गए शिल्प को प्रदर्शित करने वाला 'हस्तशिल्प संग्रहालय' की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में नालंदा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक रबड़ अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती भावना पाटील गवली द्वारा महाराष्ट्र के यवतमाल–वशीम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री कामेश्वर बैठा द्वारा देश में नक्सल प्रभावित राज्यों के विकास हेतु वृहत् योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री मधु कोड़ा द्वारा क्योंझर–बांसपानी–पदापहर–चाईबासा से होकर कटक से चक्रधरपुर तक कलिंगउत्कल एक्सप्रेस (ट्रेन सं॰ 18477 और 18478) चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.17 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

श्री संदीप दीक्षित ने भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटने के लिए श्री अन्ना हजारे के नेतृत्व में सिविल सोसायटी के सदस्यों द्वारा प्रारूपित "जन लोकपाल विधेयक" दस्तावेज के साथ-साथ प्रमुख सिविल सोसायटी समूहों एवं लब्धप्रतिष्ठ नागरिकों के प्रस्तावों पर चर्चा उठाने की मांग की किन्तु सभा में व्यवधान के कारण वे ऐसा नहीं कर सके।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.24 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.30 बजे

12. प्रस्ताव

श्री उदय सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 25 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—वापस लिया गया

डॉ॰ भोला सिंह द्वारा 21 अगस्त, 2010 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य में विकास की गति त्वरित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे और इसे अपने पिछड़ेपन से निपटने में सहायक हो।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती पुतुल कुमारी *(भाषण पुन: आरंभ किया)*
2. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
3. श्री कौशलेन्द्र कुमार
4. श्री संजय निरूपम
5. डॉ॰ मोनाजिर हसन
6. श्री अर्जुन मेघवाल
7. श्री उमाशंकर सिंह
8. श्री एस॰ सेम्मलई
9. श्री महेश्वर हजारी
10. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
11. श्री जगदम्बिका पाल

डॉ॰ अश्विनी कुमार ने वाद-विवाद में भाग लिया।

डॉ॰ भोला सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

सायं 5.33 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन

श्री हरीश चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा देश के मरू प्रदेशों में व्याप्त पिछड़ेपन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह:—

(एक) मरू प्रदेशों में रहने वाले लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को कम करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए आर्थिक पैकेज की तर्ज पर मरू प्रदेशों के समग्र विकास; तथा

(दो) इन प्रदेशों के लोगों को देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के समतुल्य समान आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु एक विशेष आर्थिक पैकेज तैयार करे और इसे कार्यान्वित करे।''

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.52 बजे

(लोक सभा शनिवार, 27 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

---

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.52 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1583LS(S3)—26.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शनिवार, 27 अगस्त, 2011/5 भाद्रपद, 1933 (शक)

संख्या 177

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 26 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 12 अगस्त, 2011 को पारित मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री दारा सिंह चौहान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के छठे प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-11) (15वीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के पांचवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं

लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-11) (15वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

3. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री ने लोकपाल के गठन से संबंधित मुद्दों पर वक्तव्य दिया।

पूर्वाह्न 11.37 बजे

4. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 8 घंटे 16 मिनट

श्रीमती सुषमा स्वराज ने लोकपाल के गठन से संबंधित मुद्दों पर वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा उठाई:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सन्दीप दीक्षित
2. कुंवर रेवती रमण सिंह
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री शरद यादव

*5. श्री हरिन पाठक

6. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
7. श्री टी॰ के॰ एस॰ इलेंगोवन
8. श्री बसुदेव आचार्य

*9. श्री जोस के॰ मणि

*10. श्री देवजी एम॰ पटेल

*11. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*12. प्रो॰ शेख सैदुल हक

13. श्री भर्तृहरि महताब

*14. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

*15. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू

*16. श्री राम सिंह कस्वां

*17. डॉ॰ किरोड़ी लाल मीणा

*18. श्री एंटो एंटोनी

*19. श्री प्रेमदास राय

*20. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

21. श्री अनंत गंगाराम गीते

*22. श्री वीरेन्द्र कुमार

*23. श्री हंसराज गं॰ अहीर

24. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक

*25. श्री वीरेन्द्र कश्यप

26. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई

*27. डॉ॰ महोन्द्रसिंह पी॰ चौहाण

*28. श्री राधे मोहन सिंह

*29. श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील

30. श्री एन॰ कृष्टप्प

*31. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर

32. श्री जयंत चौधरी

*33. श्री रामसिंह राठवा

*34. डॉ॰ निर्मल खत्री

35. श्री गुरुदास दासगुप्त

*36. श्रीमती ज्योति धुर्वे

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*37. श्री हरिभाऊ जावले

*38. श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी

*39. श्रीमती मीना सिंह

*40. श्री॰ शिवराम गौडा

*41. प्रो॰ राम शंकर

*42. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

*43. श्री सी॰ आर॰ पाटील

*44. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

*45. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया

*46. डॉ॰ संजय जायसवाल

*47. श्री बाल कुमार पटेल

*48. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

*49. श्री पी॰ टी थॉमस

*50. श्री गणेश सिंह

*51. श्री लालू प्रसाद

*52. श्री ओ॰ एस॰ मणियन

*53. श्री शिवकुमार उदासी

*54. श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा

*55. श्री चन्दू लाल साहू

*56. श्री अशोक अर्गल

*57. श्रीमती सुशीला सरोज

*58. श्री रमेन डेका

*59. श्री विष्णु पद राय

*60. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ

*61. श्री घनश्याम अनुरागी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*62. श्री कमलेश पासवान

*63. श्री समीर भुजबल

*64. श्री अर्जुन मेघवाल

*65. श्री आनंद शर्मा

*66. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*67. श्री प्रेमदास कथीरिया

*68. श्री शैलेन्द्र कुमार

*69. श्री आर॰ थमराईसेलवन

*70. श्री बलीराम जाधव

*71. श्री ओम प्रकाश यादव

*72. श्री संजय दिना पाटील

*73. श्री रावसाहेब दानवे पाटील

*74. श्रीमती कमला देवी पटले

*75. श्रीमती सीमा उपाध्याय

*76. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी

77. श्री वरुण गांधी

*78. श्री महेश्वर हजारी

*79. डॉ॰ महबूब बेग

*80. श्रीमती रमा देवी

81. श्री नरहरि महतो

*82. एडवोकेट ए॰ सम्पत

*83. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला

*84. श्री के॰ डी॰ देशमुख

*85. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी

*86. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*87. श्री दत्ता मेघे

*88. श्री एस॰ सेम्मलई

89. श्री कामेश्वर बैठा

*90. श्री मोहन जेना

*91. श्री दुष्यंत सिंह

*92. श्रीमती अन्नू टन्डन

*93. श्री पी॰ के॰ बिजू

*94. श्री जी॰ वी॰ हर्ष कुमार

*95. श्रीमती विजया चक्रवर्ती

96. श्री एस॰ डी॰ शारिक

*97. डॉ॰ अजय कुमार

*98. श्री गोरखनाथ पाण्डेय

*99. श्री प्रवीण सिंह ऐरन

*100. श्रीमती जे॰ शांता

101. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया

*102. श्री बद्रीराम जाखड़

*103. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य

*104. श्री राकेश सचान

*105. श्रीमती सुमित्रा महाजन

*106. श्री हसन खान

*107. श्री पी॰ एल॰ पुनिया

*108. श्री तिरुमावलावन

*109. डॉ॰ एम॰ बी॰ राजेश

*110. श्री हर्षवर्द्धन

*111. श्री भक्त चरण दास

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*112. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक

*113. डॉ॰ तरुण मंडल

*114. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार

*115. डॉ॰ अरविन्द शर्मा

*116. श्रीमती पुतुल कुमारी

*117. श्री धर्मेन्द्र यादव

*118. श्री कमल किशोर कमांडो

*119. श्री राजाराम पाल

*120. श्री धनंजय सिंह

*121. श्री थांगसो बाइते

*122. डॉ॰ थोकचोम मैन्या

*123. श्री पकौड़ी लाल

*124. श्री जगदम्बिका पाल

*125. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी

श्री प्रणव मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई

सायं 7.53 बजे

(लोक सभा सोमवार, 29 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—1633LS(S3)—27.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 29 अगस्त, 2011/7 भाद्रपद, 1933 (शक)

संख्या 178

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361—364 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 365—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 20 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 552(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 20 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 553(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6)(एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8)(एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) नियम, 2011 जो 12 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1035(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) हानिकारक सूक्ष्म-अवयवी/आनुवंशिक निर्मित अवयवी अथवा कोशिकाओं का विनिर्माण, प्रयोग, आयात, निर्यात तथा भंडारकरण (संशोधन) नियम, 2010 जो 3 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 8 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 603(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) (संशोधन) नियम, 2011 जो 2 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1527(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) नियम, 2011 जो 4 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 249(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) हानिकारक सूक्ष्म-अवयवी/आनुवंशिक निर्मित अवयवी अथवा कोशिकाओं का विनिर्माण, प्रयोग, आयात, निर्यात तथा भंडारकरण (संशोधन) नियम, 2010 जो 22 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 613(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) उपर्युक्त (10) की मद संख्या (दो) और (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 181(अ) जो 28 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 692(अ) जो 5 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 2904(अ) जो 8 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 1537(अ) जो 6 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 1101(अ) जो 18 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों के पश्चात् आगामी आदेशों तक तमिलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकी की हानि (प्रतिपूर्ति का निवारण और संदाय) प्राधिकरण के कार्यकाल का विस्तार करने के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 695(अ) जो 6 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1533(अ) और 1 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3067(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(13) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के अंतर्गत पशु जन्म नियंत्रण (श्वान) संशोधन, नियम, 2010 जो 9 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 303(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰ आ॰ 1626(अ) जो 14 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 मई, 1978 की अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 1422 को निरस्त किया गया है।

(दो) फल उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2011 जो 14 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1627(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) फ्रेश, फ्रोजन और प्रोसेस्ड मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण और निगरानी) (संशोधन) नियम, 2011 जो 10 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 497(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) (एक) भारतीय माध्यस्थम परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय माध्यस्थम परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत पेटेंट (बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड को अपीलें और आवेदन) नियम, 2011 जो 11 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 209(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जारी इलेक्ट्रिक वायर्स, केबल्स, एप्लायसेंस तथा सुरक्षा उपकरण और उपस्कर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2009 जो 7 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2058(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवेलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवेलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) नेशनल सेंटर फॉर जूट डाइवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर जूट डाइवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) नेशनल सेंटर फॉर जूट डाइवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर जूट डाइवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत वस्त्र समिति (संशोधन) नियम, 2011 जो 25 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 256(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मझगांव डॉक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(37) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 319(अ) जो 11 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (प्रोजेक्ट चेनेज) (केरल/तमिलनाडु बोर्डर-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 827(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 729(अ) जो 8 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (प्रोजेक्ट चेनेज)

(केरल/तमिलनाडु बोर्डर–कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1067(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (प्रोजेक्ट चेनेज) (केरल/तमिलनाडु बोर्डर–कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1213(अ) जो 26 मई , 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (प्रोजेक्ट चेनेज) (केरल/तमिलनाडु बोर्डर–कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1082(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागापट्टनम–तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 1025(अ) जो 11 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (कराईकुडी–रामनाथपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 1050(अ) जो 13 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (कराईकुडी–रामनाथपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1125(अ) जो 20 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी–वलझापेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 270(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम–कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 261(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (कराईकुडी–रामनाथपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 297(अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पूनामली–वलझापेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 2917(अ) जो 9 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपास सहित) (त्रिची–करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 269(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 एक्सटेंशन (डिंडुगुल–थेनी और कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 1209(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी–वलझापेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 266(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम–कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 350(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के माहे रीजन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु डिप्टी कलक्टर (राजस्व) माहे को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 2755(अ) जो 9 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूत्तानी–चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 2315(अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची–करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 1872(अ) जो 30 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूत्तानी–चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1914(अ) जो 5 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम–विलुपुरम–त्रिची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 1704 (अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2831 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का॰आ॰ 2303 (अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची–करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 2016 (अ) जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूत्तानी–चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1875 (अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205

(तिरूत्तानी-चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 2062 (अ) जो 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 1954 (अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुन्दूरपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 2635 (अ) जो 25 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 2916 (अ) जो 9 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 2381 (अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिल्कालूरिपेट-रुद्रकोटा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 2593 (अ) जो 19 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 2595 (अ) जो 19 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7

(हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 2670 (अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यदगिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 2316 (अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2479 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का॰आ॰ 2457 (अ) जो 8 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कायम्बटूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 2581 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई पोर्ट-मदुरावोयल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 2701 (अ) जो 2 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 2913 (अ) जो 9 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (प्रोजेक्ट चेनेज) (नागरकोइल-कावलकिनरू खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 177 (अ) जो 28 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1093 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चालीस) का॰आ॰ 271 (अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 140 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतालीस) का॰आ॰ 2372 (अ) और का॰आ॰ सं॰ 2373 (अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 692 (अ) और 8 फरवरी, 2010 के का॰आ॰ 283 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयालीस) का॰आ॰ 2575 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1345(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 2700 (अ) जो 2 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (तिरूवल्लूर जिले में चेन्नई बाईपास चरण-दो) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 2946 (अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (तिरूचिरापल्ली-कराईकुडी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 2948 (अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (कराईकुडी-रामनाथपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 296 (अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2013 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 273 (अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2730 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 1047 (अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 20 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 135 (अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(उनचास) का॰आ॰ 2729 (अ) जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़-रोहतक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 2844 (अ) जो 26 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 2596(अ) जो 19 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 1348(अ) जो 9 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26ख (छिन्दवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 2808(अ) जो 19 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 2634(अ) जो 25 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3083 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचपन) का॰आ॰ 2625(अ) जो 25 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1348 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छप्पन) का॰आ॰ 2580(अ) जो 18 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3213(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतावन) का॰आ॰ 1953(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली-वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठावन) का॰आ॰ 2364(अ) और का॰आ॰ 2365(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूत्तानी-चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 2271(अ) जो 14 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली-वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 2947(अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (डिंडीवनम-कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 2753(अ) जो 9 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (तिरूचिरापल्ली-कराईकुडी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 2731(अ) जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूत्तानी-चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 2741(अ) जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210

(तिरूचिरापल्ली–कराईकुडी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 2920(अ) जो 9 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत–जालंधर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 2923(अ) जो 10 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पजांब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर–परवाणु खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छियासठ) का॰आ॰ 1184(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर–लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 1246(अ) और का॰आ॰ 1247(अ) जो 31 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (बियाओरा–म॰प्र॰/राजस्थान सीमा खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़सठ) का॰आ॰ 1200(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (बरेली–भोपाल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 1358(अ) जो 13 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी–लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्तर) का॰आ॰ 2582(अ) जो 18 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मन्नुती–आलुवा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 2664(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 1216(अ) जो 24 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर स्थायी पुलों नामत: अरूर कुम्बलम और कुम्बलम पनंगाड का उपयोग करने के लिए यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क की वसूली के बारे में है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 2112(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2646 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 2703(अ) जो 2 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर-कुट्टिपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 2630(अ) जो 25 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर-कुट्टिपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 2739(अ) जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (तिरूचिरापल्ली-कराईकुडी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 2829(अ) जो 24 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 (मदुरै- रामनाथपुरम-रामेश्वरम-धनुषकोडि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 2828(अ) जो 24 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 (मदुरै-रामनाथपुरम-रामेश्वरम-धनुषकोडि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनासी) का॰आ॰ 203(अ) और का॰आ॰ 204(अ) जो 1 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67

(नागापट्टिनम-तंजावूर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अस्सी) का॰आ॰ 2367(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (त्रिउट्टनी-चेन्नई खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 2953(अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (एतिपल्ली-कृष्णागिरि खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बयासी) का॰आ॰ 2637(अ) जो 25 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (त्रिउट्टनी-चेन्नई खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिरासी) का॰आ॰ 1693(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2224(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौरासी) का॰आ॰ 2832(अ) और का॰आ॰ 2833(अ) जो 24 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (रायपुर-बिलासपुर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचासी) का॰आ॰ 2802(अ) जो 18 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संबलपुर-रायपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छियासी) का॰आ॰ 1562(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (बालासोर-बारीपदा-झारपोखरिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सतासी) का॰आ॰ 1219(अ) जो 27 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठासी) का॰आ॰ 1667(अ) जो 21 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(नवासी) का॰आ॰ 333(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(नब्बे) का॰आ॰ 335(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 अक्तूबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2554(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यानवे) का॰आ॰ 336(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2788(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बानवे) का॰आ॰ 414(अ) जो 23 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिरानवे) का॰आ॰ 506(अ) जो 11 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2789(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौरानवे) का॰आ॰ 2458(अ) जो 8 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचानवे) का॰आ॰ 2636(अ) जो 25 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छियानवे) का॰आ॰ 2665(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 234(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतानवे) का॰आ॰ 2674(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठानवे) का॰आ॰ 2676(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(निन्यानवे) का॰आ॰ 2878(अ) जो 1 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-ललितपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सौ) का॰आ॰ 2896(अ) जो 6 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (लखनऊ-सीतापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ एक) का॰आ॰ 2924(अ) जो 10 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1107(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ दो) का॰आ॰ 994(अ) जो 4 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसमें उल्लिखित खंडों को सौंपा गया है।

(एक सौ तीन) का॰आ॰ 995(अ) जो 4 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ चार) का॰आ॰ 689(अ) जो 4 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्यांकन प्रणाली को औचित्य सम्मत/आशोधित करने के बारे में है।

(38) उपर्युक्त (37) की मद सं॰ (नवासी) से (तिरानवे) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और परियात) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत का॰आ॰ 996(अ) जो 4 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 76(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(40) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेंट्रल इन्लेंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इन्लेंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्कों और प्रभारों का उदग्रहण और संग्रहण) विनियम, 2011 जो 22 जुलाई, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ आईडब्ल्यूएआई/कार्गो/184/2009 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटीस, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटीस, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हेंडीकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हेंडीकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसएबेलिटीज एक्ट, 1999 की धारा 36 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसएबेलिटीज (संशोधन) नियम, 2010 जो 28 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1021(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बोर्ड ऑफ द ट्रस्ट (संशोधन) विनियम, 2010 जो 28 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1022(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(50) सड़क से वहन अधिनियम, 2007 की धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत सड़क से वहन नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 176(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन और उसका शुद्धिपत्र जो 10 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 205(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत मोटर वाहन (टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट आपरेटरों को ऑल इंडिया परमिट) संशोधन नियम, 2011 जो 9 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 367(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. कृषि संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 24वां प्रतिवेदन।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

5. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शिवकुमार उदासी ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों के बारे में 9वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) विदेश मंत्रालय के वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों के बारे में 10वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

6. **विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण**

श्री शिवकुमार उदासी ने विदेश मंत्रालय की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों के बारे में चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर दिए गए उत्तरों के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. **कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 17वां प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

(4) 'इस्पात क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार' के बारे में इस्पात मंत्रालय के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

8. **कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2009-10)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) इस्पात मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगों (2009-10)'' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी 10वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

9. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.44 बजे

10. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री पी॰ विश्वनाथन द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में सिल्क पार्क की स्थापना किए जाने संबंधी कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में कपिलवस्तु से बस्ती तक रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा राज्य सरकारों विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार पर सरकारी स्वामित्व वाले भवनों में सौर ऊर्जा प्रणालियों के संस्थापन हेतु प्रावधान करने के लिए दबाव डाले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ थोकचोम मैन्य द्वारा मणिपुर में सरदार हिल्स जिले के लिए एक स्वायत्त जिला परिषद बनाए जाने की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री कीर्ति आजाद द्वारा सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.44 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(7) श्री बालकृष्ण के॰ शुक्ला द्वारा कच्चे तेल की वेलहेड कीमत पर राज्य सरकारों को रायल्टी का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ राजन सुशांत द्वारा जम्मू और कश्मीर में शैक्षणिक, औद्योगिक और पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री कपिल मुनि करवारिया द्वारा आरंभ होने वाले कुम्भ मेला का ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्नानघाटों की मरम्मत किए जाने तथा उन्हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में अंतर्राज्यीय उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के भाग के रूप में कुटकु बांध के लौह द्वारा के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन द्वारा दलित इसाइयों और मुस्लिमों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पी॰ आर॰ नटराजन द्वारा देश में स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को नवीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उड़ीसा सरकार को सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पिडुगुराला नगर में अतिविशिष्टता वाले अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री मधु कोड़ा द्वारा झारखण्ड के पश्चिम सिंहभूम जिले में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के लौह अयस्क खानों का प्रचालन आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.45 बजे

11. **सरकारी विधेयक—पारित**

लिया गया समय : 3 घंटे 18 मिनट

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधयेक, 2011*, राज्य सभा द्वारा यथापारित।*

श्रीमती कृष्णा तीरथ की ओर से श्री पवन कुमार बंसल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

(लोक सभा अपराह्न 1.15 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.19 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.19 बजे

2. डॉ॰ गिरिजा व्यास
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री आर॰ थामराईसेलवन
7. श्रीमती सुष्मिता बाउरी
8. श्री मोहन जेना
9. श्री अनंत गंगाराम गीते
10. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
11. श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन
12. श्री पी॰ लिंगम
13. श्री जगदानन्द सिंह
14. श्री वीरेन्द्र कुमार
15. चौधरी लाल सिंह
16. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
17. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
18. डॉ॰ तरूण मंडल
19. श्रीमती अन्नू टन्डन
20. श्रीमती रमा देवी
21. श्रीमती पुतुल कुमारी
22. श्री हरीश चौधरी

श्री पवन कुमार बंसल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

सायं 5.11 बजे

12. **सांविधिक संकल्प—विचाराधीन**

आवंटित समय	: 2 घंटे
लिया गया समय	: 19 मिनट
शेष	: 1 घंटा 41 मिनट

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2011, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

श्री कपिल सिब्बल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

श्री वीरेन्द्र कश्यप ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 5.30 बजे

13. **आधे घंटे की चर्चा**

श्री जगदानन्द सिंह ने ''विद्युत की मांग और आपूर्ति'' के बारे में 5 अगस्त, 2011 को विद्युत मंत्री द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 81 के दिए गए उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा उठायी।

श्री सुशील कुमार शिंदे ने चर्चा का उत्तर दिया।

*सायं 6.19 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 30 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.14 बजे से सायं 6.19 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1674LS(S3)—29.08.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 30 अगस्त, 2011/8 भाद्रपद, 1933 (शक)

संख्या 179

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई)*

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 381—400 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4371—4600 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल कल्चर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कल्चर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 579(अ)/इएसएस॰कॉम/गन्ना जो 28 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2010-11 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का कारखाना-वार उचित और लाभकारी मूल्य अधिसूचित किया गया है की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 389 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (सिनेमा थियेटरों का वर्गीकरण) उप-नियम, 2011 जो 5 मई, 2011 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 4/15/2006/यूडी/4409 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (वार्षिक किराए का अवधारण) उप-नियम, 2009 जो 24 फरवरी, 2009 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 4/3/2008-यूडी/3356 में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की

निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) महाराष्ट्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 और 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) असम स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वर्ष 2011 के संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन (भाग 9) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(19) (एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सशस्त्र सीमा बल समूह 'ख' कम्बेटाइज्ड (अराजपत्रित) पायनियर संवर्ग, पद भर्ती नियम, 2011 जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 565(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल कम्बेटाइज्ड, अनुसचिवीय और आशुलिपिक (अराजपत्रित) समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 जो 8 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 441(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सशस्त्र सीमा बल (प्रिंटिंग प्रेस) सेवा, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1033(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 9 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 201 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल कम्बेटाइज्ड ट्रेड्समेन संवर्ग समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 जो 18 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 100(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सशस्त्र सीमा बल (कम्बेटाइज्ड) पायनियर संवर्ग समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 521(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(21) उपर्युक्त (20) की मद संख्या (तीन) और (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (कम्बेटाइज्ड अनुसचिवीय संवर्ग), समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 जो 5 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 57 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा पुलिस अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी और सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 जो 25 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 255(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल समूह ''ग'' (सामान्य ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समेन) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 जो 2 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 356 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 29 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 अगस्त, 2011 को पारित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 16 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में श्रीमती जयंती नटराजन द्वारा समिति से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए पद के लिए लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और सूचित किया कि श्री जेसुदासु सीलम को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री विजय बहादुर सिंह ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. रेल अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ बलिराम ने 'वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक मामले' के बारे में रेल अभिसमय समिति (2009) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

कुंवर रेवती रमन सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ काकोली घोष दस्तिदार ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) नागर विमानन मंत्रालय के संबंध में लंबित आश्वासनों के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

(2) आश्वासनों को छोड़े जाने के लिए अनुरोधों के बारे में 16वां और 17वां प्रतिवेदन।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंध में लंबित आश्वासनों के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

8. कृषि संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने 'अजैवीय दबाव प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास तथा उत्पादन संवर्धन प्रौद्योगिकियों का प्रसार—देश में अनुसंधान और विकास तथा विस्तार संबंधी प्रयासों की समीक्षा' के बारे में कृषि संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री मुलायम सिंह यादव ने 'विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण' के बारे में 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) आढ़ती विनियमन (प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक, 2011 के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

(2) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

11. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिसवाल ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय—श्रम और रोजगार मंत्रालय की समीक्षा के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

(2) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों के बारे में 19वां प्रतिवेदन।

(3) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

12. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री टी॰आर॰ बालू ने 'नई रेल भर्ती नीति' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'ब्रह्मपुत्र बोर्ड का कार्यकरण' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 9वां प्रतिवेदन।

(2) 'घटते भू-जलस्तर का संवर्धन, सतत विकास, संरक्षण, प्रबंधन, भू-जल का उपयोग तथा जल प्रदूषण का निवारण' के बारे में 10वां प्रतिवेदन।

14. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती दीपा दासमुंशी ने न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 47वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

15. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्री की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2010-11) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 8वें और 19वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संबंध में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के छठे और आठवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.08 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु में सूती मिलों और बीड़ी उद्योग में कार्यरत कर्मकारों का पेंशन बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 12.28 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) श्री दत्ता मेघे द्वारा गरीब व्यक्तियों को सरकारी चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराए जाने तथा देश में निजी अस्पतालों के अत्यधिक चिकित्सा बिल के नियंत्रण हेतु नियम बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में अध्यापक्ष शिक्षा का पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम फिर से लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री एंटो एंटोनी द्वारा देश में नकली औषधि के प्रवाह को रोकने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ चार्ल्स डिएस द्वारा विदेश में अध्ययन हेतु बैंक ऋण का लाभ उठाने वाले छात्रों को ब्याज वापस करने की सुविधा का उपबंध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) प्रो॰ रामशंकर द्वारा आगरा, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री हरिभाऊ माधव जावले द्वारा राज्य में जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और उन्हें फिर से चालू किए जाने हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण द्वारा गुजरात के सबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोडसा रेलवे स्टेशन पर गुड्स यार्ड का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री नीरज शेखर द्वारा धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा वैशाली एक्सप्रेस को समय पर चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार में पटना और सहरसा के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री के॰ सुगुमार द्वारा डिंडीगुल और पलाक्कड़ एवं पलानी तथा पोलाछी के बीच आमान-परिवर्तन का कार्य पूरा किए जाने के लिए और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री संजय सिंह चौहान द्वारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ के कारण प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री जगदानंद सिंह द्वारा बाण सागर करार के अनुसार बिहार में सोन नहर के लिए इन्द्रापुरी बराज में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.28 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.02 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 2 सितम्बर, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

दिनांक 29.08.2011 के समाचार—भाग 1, संख्या 178 का शुद्धि पत्र

पृष्ठ सं॰ 29 में क्रम सं॰ 12 ''**सांविधिक संकल्प**'' के स्थान पर ''**सरकारी विधेयक**'' पढ़ा जाए।

GMGIPMRND—1706LS(S3)—30-08-2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 (शक)

संख्या 180

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्री ने एसजीपीसी के चुनावों के संबंध में न्यायालय में चल रहे मामलों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 421—424 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 425—440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4831—5060 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के लिए अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदनः—

(एक) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पपुम-पारे।

(दो) पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम।

(तीन) बांगीया ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शिदाबाद।

(चार) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़।

(पांच) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गाँधीनगर।

(छह) चिकमगलूर कोडागू ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर।

(सात) बैतरणी ग्राम्य बैंक, मयूरभंज।

(आठ) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला।

(नौ) पांडयन ग्राम बैंक, विरुधूनगर।

(दस) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी।

(ग्यारह) नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर।

(बारह) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर।

(तेरह) ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक, बेरहमपुर।

(चौदह) जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जयपुर।

(पन्द्रह) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर।

(सोलह) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर।

(सत्रह) पुडुवई भरतियार ग्राम बैंक, पुडुचेरी।

(अठारह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर।

(उन्नीस) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला।

(बीस) कलिंग ग्राम्य बैंक, कटक।

(इक्कीस) रेवा सीधी ग्रामीण बैंक, रेवा।

(4) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का विप्रेषण) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 9 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 199(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारबार के अन्य स्थल की स्थापना) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 9 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 200(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 28 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 491(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/14/21219 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (4) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(8) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2010 जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 27 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 28 जनवरी, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4 में प्रकाशित हुए थे।

(9) उपर्युक्त (8) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पंजाब और सिन्ध बैंक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) देना बैंक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) कॉरपोरेशन बैंक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) सिंडीकेट बैंक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) विजय बैंक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(11) (1) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2011 जो 27 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 417(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2011 जो 26 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 570(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2011 जो 11 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 619(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) संशोधन विनियम, 2011 जो 3 जून, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या यू-1/6-5/2011 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) रीजनल कैंसर सेंटर, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2007-08 से 2009-2010 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेंटर, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2007-08 से 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि 30 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने 11 अगस्त, 2011 को लोक सभा द्वारा पारित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2011 को संशोधनों सहित पारित कर दिया है तथा इस अनुरोध के साथ विधेयक को लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति से राज्य सभा को अवगत कराया जाए।

6. राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2011, जिसे राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटा दिया गया है, को सभा पटल पर रखा।

7. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री की ओर से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सत्र की शेष अवधि के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.09 बजे

8. ध्यानाकर्षण

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने खाद्यान्नों की कमी का सामना कर रहे राज्यों को अधिप्राप्त किए गए खाद्यान्नों की ढुलाई नहीं हो पाने के कारण देश के विभिन्न भागों विशेषकर पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त किए गए खाद्यान्नों का भंडारण तथा स्टॉक-धारिता संबंधी सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.10 *बजे स्थगित हुई*
और अपराह्न 2.01 *बजे पुनः समवेत हुई)*

अपराह्न 2.01 बजे

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराह्न 2.35 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 10 मिनट

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन)विधेयक, 2011, *राज्य सभा द्वारा यथापारित।*

श्री कपिल सिब्बल द्वारा 29 अगस्त, 2011 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री वीरेन्द्र कश्यप (अपना भाषण पुन: शुरू किया)
2. कुमारी मीनाक्षी नटराजन
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री विजय बहादुर सिंह

5. श्रीमती मीना सिंह

6. प्रो॰ शेख सैदुल हक

7. श्री भर्तृहरि महताब

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री कपिल सिब्बन ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.26 बजे

10. प्रस्ताव

श्री विजय बहादुर सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 30 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्रीमती सुप्रिया सुले का बालिका (नि:शुल्क और अनिवार्य) शिक्षा विधेयक, 2010

(2) श्री सी॰ आर॰ पाटील का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 *(नए अनुच्छेद 21ख, 21ग और 21घ का अंत:स्थापन)*

(3) श्री मनीष तिवारी का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 *(धारा 126 का संशोधन)*

(4) श्री पन्ना लाल पुनिया का वृहद परियोजनाएं (समय पर पूर्ण करना) विधेयक, 2011

(5) श्री सी॰ आर॰ पाटील का गुजरात राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2011

(6) श्री भक्त चरण दास का कुपोषण उन्मूलन विधेयक, 2011

(7) श्री अर्जुन मेघवाल का सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2011

(8) डॉ॰ महेन्द्र सिंह पी॰ चौहाण का माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2011 *(अध्याय 4 के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन)*

(9) डॉ॰ महेन्द्र सिंह पी॰ चौहाण का कृषक (प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण तथा कल्याणकारी उपाय) विधेयक, 2011

(10) श्री मोहन जेना का सिविल अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 *(धारा 3, आदि का संशोधन)*

(11) श्री मोहन जेना का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011 *(धारा 28 का लोप)*

(12) श्री एम॰ के॰ राधवन का भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 *(नई धारा 376ङ का अंत:स्थापन)*

(13) श्री एम॰ के॰ राघवन का नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2011 *(धारा 26, आदि का संशोधन)*

(14) श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे का कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2011

(15) श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे का सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2011 *(धारा 6 से 8 का संशोधन)*

(16) श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे का बीड़ी कर्मकार कल्याण विधेयक, 2011

(17) श्री एस॰ सेम्मलई का विस्थापित व्यक्ति कल्याण विधेयक, 2011

(18) श्री एस॰ सेम्मलई का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 *(अनुसूची II का संशोधन)*

अपराहन 3.37 बजे

12. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन

श्री सतपाल महाराज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री सतपाल महाराज द्वारा 19 अगस्त, 2011 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही। उन्होंने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. श्री गोरख नाथ पाण्डेय
4. श्री मगनी लाल मंडल
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री अधीर रंजन चौधरी
7. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
8. श्री के॰ सी॰ सिंह 'बाबा' *(भाषण अपूर्ण रहा)*

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.43 बजे

(लोक सभा सोमवार, 5 सितम्बर, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.01 बजे से सायं 6.43 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1765LS(S3)—02.09.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 5 सितम्बर, 2011/14 भाद्रपद, 1933 (शक)

संख्या 181

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में देश में आयोजित शिक्षक दिवस के अवसर पर उल्लेख किया। उन्होंने समाज के लिए शिक्षकों के योगदान के लिए शिक्षक समुदाय के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 441 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 442—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5061—5290 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6घ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2011 जो 5 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1809(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा (दूसरा संशोधन) योजना, 2011 जो 5 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1810(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जलयानों का प्रबंधन के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (वर्ष 2011-12 का संख्यांक 5) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1844(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों से मिलकर बने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकारी, राजस्थान का गठन किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 1845(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों से मिलकर बने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकारी, दिल्ली का गठन किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 1843(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों से मिलकर बने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकारी, जम्मू और कश्मीर का गठन किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 1846(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों से मिलकर बने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 1547(अ) जो 7 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों से मिलकर बने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकारी, महाराष्ट्र का गठन किया गया है।

(5) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1908(अ) जो 17 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बैठक के साधारण स्थानों को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालाइसिज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालाइसिज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 43 के अंतर्गत सशस्त्र बल अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2011 जो 29 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰नि॰आ॰ 05 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हेंडीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हेंडीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

इस्पात मंत्री ने इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थाई समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक, 2011

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.03 *बजे स्थगित हुई और*
अपराह्न 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई*)

अपराह्न 2.00 बजे

7. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति श्री सौमित्र सेन के त्यागपत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य सभा द्वारा समर्थित प्रस्ताव और समावेदन पर विचार तथा उसका समर्थन करने के प्रश्न के बारे में

श्री सलमान खुर्शीद ने निम्नलिखित निवेदन किया:—

''अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं आपके तथा माननीय सभा के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि न्यायमूर्ति श्री सौमित्र सेन ने भारत के संविधान् के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परंतुक (क) के अनुसरण में 1 सितम्बर, 2011 के अपराह्न से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से त्याग पत्र दे दिया है।''

इसके पश्चात्, अध्यक्ष ने सभा का मत लिया तथा न्यायमूर्ति सौमित्र सेन को हटाए जाने के बारे में मद संख्या 12 और 13 पर कार्यवाही न करने का निर्णय लिया।

सभा सहमत हुई।

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू द्वारा तिरूनेलवेली जिला, तमिलनाडु में मुक्कूडल में स्थित ईएसआई अस्पताल में सुविधाओं में सुधार किए जाने तथा पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों और चिकित्सा/पैरा चिकित्सा कार्मिकों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री मानिक टैगोर द्वारा लोगों में नेत्रदान के बारे में जागरूकता का सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एम० के० राघवन द्वारा केरल में गुरुवायूर से तिरुनवाया रेल लाईन परियोजना पर कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा 51वीं इंडिया रिजर्व बटालियन को लक्षद्वीप राज्य सशस्त्र सीमा में परिवर्तित किए जाने तथा संघ राज्य क्षेत्र में इंडिया रिजर्व बटालियन के कार्मिकों की उनसे संबंधित स्थानों पर पोस्टिंग/तैनाती करने के लिए उपबंध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री हर्षवर्धन द्वारा कानपुर में आयुध उपकरण फैक्ट्री को इसकी पूरी क्षमता के साथ चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री ललितमोहन शुक्लवैद्य द्वारा असम में रह रहे बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के मामलों का निपटान करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री एम० श्रीनिवासिलु रेड्डी द्वारा आंध्र द्रेश के ओंगोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के भाग के रूप में बकिंघम नहर के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक धनराशि मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तराखंड की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों में केन्द्रीय सरकार के अंश में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री हरिन पाठक द्वारा गुजरात को पर्याप्त मात्रा में एपीएम गैस उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान में अनुपूगढ़ से बीकानेर तक एक रेलवे लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पकौड़ी लाल द्वारा उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नॉदर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के खनन क्रियाकलापों के कारण विस्थापित हुए लोगों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती अश्वमेध देवी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मदरसों को भी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ सुचारु रंजन हल्दर द्वारा रणघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल में निकटवर्ती क्षेत्रों में भागीरथी नदी मार्ग पर भूमि क्षरण को रोकने के लिए उसके तटबंधों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा पुडुचेरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस (ट्रेन सं॰ 22404/22404), हावड़ा-पुडुचेरी द्विसाप्ताहिक ट्रेन संख्या 12867-12868 को तमिलनाडु में बरास्ता तिरुवन्नामलई चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री पी॰ आर॰ नटराजन द्वारा ऑटोरिक्शा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की दरों में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के नरसारावपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुंटूर से कोंडामोडु (पीडुगुराला) तथा गुंटूर से करनूल तक राजमार्गों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री जोस के॰ मणि द्वारा यूरिया के मूल्यों को गैर-नियंत्रित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने और उसे वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

***9. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सभा सहमत हुई**

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2011

श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से श्री नमो नारायण मीणा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए:—

खण्ड 10

कि पृष्ठ 6, पंक्ति 5 से 7 का **लोप** किया जाए।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नमो नारायण मीणा द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि सभा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन से सहमत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा सभा संशोधन पर सहमत हुई।

---

* लोक सभा द्वारा 11 अगस्त, 2011 को विधेयक पारित किया गया और सहमति के लिए इसे राज्य सभा को प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 30 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधन के साथ पारित किया और 1 सितम्बर, 2011 को इसे लोक सभा को लौटा दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.05 *बजे स्थगित हुई और*

अपराह्न 4.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 4.00 बजे

10. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 46 मिनट

वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा 23 मार्च, 2011 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री विलासराव देशमुख ने अपना लिखित उत्तर सभा पटल पर रखा।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 38 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, भी स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री विलासराव देशमुख ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 4.05 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 6 *सितम्बर,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

टी॰ के॰ विश्वानाथन,

महासचिव।

GMGIPMRND—1815LS(S3)—05.09.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 6 सितम्बर, 2011/15 भाद्रपद, 1933 (शक)

संख्या 182

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 461 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.11 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई*)

तारांकित प्रश्न संख्या 462—480 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5291—5520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वित्त वर्ष 2010-2011 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वित्त वर्ष 2011-2012 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) (एक) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स कंजरवेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स कंजरवेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2010 की धारा (1) की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2689(अ) जो 1 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2 नवम्बर, 2010 को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) वर्ष 2009-2010 के लिए, हिन्दी के प्रसार और विकास में तेजी लाने तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके प्रगामी प्रयोग एवं इसके कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के बारे में 41वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान—उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2011-12 का संख्यांक 13)—संघ सरकार (सिविल)।

(दो) अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2011-12 का संख्यांक 16)—संघ सरकार (सिविल)।

(तीन) स्वायत्त निकाय कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2011-12 का संख्यांक 17)—संघ सरकार (सिविल)।

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1732(अ) जो 26 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित ऐसे उर्वरकों के विनिर्माताओं

द्वारा विनिर्माण किए जाने वाले कस्टमाइज्ड उर्वरकों के मामले में विनिर्दिष्टियों को 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध ठहराया जाना अधिसूचित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 1733(अ) जो 26 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 नवम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 977(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 1893(अ) जो 12 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में आयातित तीन नए उर्वरकों का विनिर्देशन कृषि उपयोग हेतु भारत में इसकी बिक्री के प्रयोजनार्थ राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नियत किया गया है।

(14) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर), इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) और सूबेदार मेजर (स्टेनोग्राफर) संशोधन नियम, 2011 जो 24 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 478(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल इंस्पेक्टर (हिन्दी अनुवादक), और सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) संशोधन भर्ती नियम, 2011 जो 24 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 479(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह सब-इंस्पेक्टर (अनुसचिवीय), इंस्पेक्टर (अनुसचिवीय) और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) संशोधन भर्ती नियम, 2011 जो 24 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 480(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(17) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय हैड कांस्टेबल (ड्राफ्ट्समैन), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2011 जो 11 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 175 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, कांस्टेबल (ट्रैड्समैन), समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 जो 4 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 169 में प्रकाशित हुए थे।

(18) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 2011, जो 14 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 145 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बिरेन सिंह इंग्ती ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2010-11 और 2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(एक) विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास हेतु कार्यक्रमों की जांच संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(दो) विशेष भर्ती अभियान 2005 और 2007 के दौरान संविदा के आधार पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की नवयुग स्कूल एजुकेशनल सोसायटी द्वारा नियुक्त 10 अनुसूचित जाति के भूतपूर्व शिक्षकों की सेवा समाप्त किए जाने संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री मधु गौड यास्खी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 19वां और 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

---

* निदेश 71क के अंतर्गत समिति का 12वां प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 2011 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और समिति का 13वां प्रतिवेदन 1 जून, 2011 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया।

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित बैंककारी और बीमा कार्यकलापों के माध्यम से डाक विभाग द्वारा निधियों का प्रबंधन के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 62वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) और (2010-11) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 5वें और 9वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने (i) ''खाद्यान्नों का भंडारण'' के बारे में श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े, संसद सदस्य तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं॰ 1606 के 9.8.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करना; और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी॰सी॰ चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को बजट सत्र 2012 के अंतिम दिवस तक के लिए बढ़ाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ चार्ल्स डिएस द्वारा देश के शहरों में हरित क्षेत्र में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष संवर्धन स्कीम के अंतर्गत रोहतक, हरियाणा में एक खेल प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री हरीश चौधरी द्वारा बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाए गई सड़कों पर लोगों की आवाजाही को सुकर बनाने के लिए समपार पथों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ संजय सिंह द्वारा सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक नहर की मरम्मत का कार्य आरंभ करने तथा फसल की बुआई के दौरान नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एकनाथ एम॰ गायकवाड द्वारा मुंबई दक्षिण मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में रेलवे लाईनों के किनारे बसी झुग्गियों में रहने वाले लोगों को रेलवे की सुखी गृह स्कीम के अंतर्गत घर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ क्रुपारानी किल्ली द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक आदर्श डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित पोहारी में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा इंदौर-निजामुद्दीन (दिल्ली) ट्रेन सं॰ 12415/12416 के समय को पुन: निर्धारित किए जाने तथा इंदौर और दिल्ली के बीच चलने वाली दुरंतो सवारी गाड़ी चलाए जाने के अलावा ट्रेनों में यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री गणेश सिंह द्वारा ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन परियोजना के निर्माण का कार्य शीघ्र आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती उषा वर्मा द्वारा देश में असंतुलित लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री भीमशंकर *उर्फ* कुशल तिवारी द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ को नियंत्रित किए जाने के लिए कदम उठाने तथा बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त राहत और पुनर्वास उपाय शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार में सहरसा से फारबिसगंज रेलवे लाईन का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री ई॰ जी॰ सुगावनम द्वारा देश में, विशेष रूप से तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 और राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर टॉल प्लाजा के कार्यकरण को विनियमित किए जाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा केरल के ओट्टापलम रेलवे स्टेशन, पालक्काड पर केरल एक्सप्रेस (नई दिल्ली-त्रिवेन्द्रम) तथा चेन्नई-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ यशवंत एन॰ एस॰ लागुरी द्वारा क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उड़ीसा में कालीमाटी-कनकादहाद मार्ग (बसपाल-बामेबारी-तेलबोई होते हुए) को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री जयंत चौधरी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2011 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री प्रबोध पांडा द्वारा खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में आईआईटी के निकट पुरी गेट पर ऊपरि पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री सदाशिव डी॰ मंडलिक द्वारा महाराष्ट्र में नई सहकारी चीनी कारखानों को पुराने चीनी कारखानों के समान वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.07 बजे

10. सरकारी विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सभा सहमत हुई

**उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2010*

---

* लोक सभा द्वारा 9 नवम्बर, 2010 को विधेयक पारित किया गया और इसे सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 24 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसी दिन इसे लोक सभा को लौटा दिया।

श्री पी॰ चिदंबरम की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पेश किया गया कि उड़ीसा राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

''इकसठवें'' **के स्थान पर** ''बासठवें'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

''2010'' **के स्थान पर** ''2011'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया कि सभा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा सभा संशोधनों पर सहमत हुई।

अपराह्न 12.09 बजे

11. सरकारी विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—संशोधनों पर सभा सहमत हुई—संशोधनों द्वारा यथासंशोधित विधेयक पारित

#संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010

श्री पी॰ चिदंबरम की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पेश किया गया कि लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

''इकसठवें'' **के स्थान पर** ''बासठवें'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

लोक सभा द्वारा 9 नवम्बर, 2010 को विधेयक पारित किया गया और इसे सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 24 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधन के साथ पारित किया और उसी दिन इसे लोक सभा को लौटा दिया।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 2,—

''2010'' **के स्थान पर** ''2011'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में 308; विपक्ष में शून्य। प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या (1) और (2) को स्वीकार करने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में 298; विपक्ष में शून्य। प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा विधेयक, संशोधनों द्वारा यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में 303; विपक्ष में शून्य। प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ। विधेयक, स्वीकृत संशोधनों द्वारा यथासंशोधित, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुरूप अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किया गया।

अपराह्न 12.20 बजे

(लोक सभा बुधवार, 7 सितम्बर, 2011 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—1849LS(S3)—06.09.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 7 सितम्बर, 2011/16 भाद्रपद, 1933 (शक)

संख्या 183

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए बम विस्फोट, जिसके कारण अनेक लोग घायल हो गए, के बारे में उल्लेख किया और उन्होंने इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा की।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. सदस्यों द्वारा निवेदन

दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए बम विस्फोट के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए बम विस्फोट के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री शरद यादव
4. श्री बसुदेव आचार्य
5. श्री दारा सिंह चौहान
6. श्री अनंत गंगाराम गीते

7. श्री टी॰के॰ इलेंगोवन
8. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
9. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 12.30 बजे

3. प्रश्न

लोक सभा के स्थगित हो जाने के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 481-500 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 5521-5750 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) हज कमेटी ऑफ इंडिया के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हज कमेटी ऑफ इंडिया के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, अपील अधिकरण (आवेदन तथा अपील और शुल्क के लिए प्रपत्र) नियम, 2010 जो 25 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 702(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 19 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 389(अ) तथा 7 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 436(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2011 जो 29 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 588(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नागर विमानन मंत्रालय, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण कर्मचारी (पदों की संख्या और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 जो 29 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 589(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2011-12 का संख्यांक 9) (निष्पादन लेखापरीक्षा)–संघ सरकार (वाणिज्यिक) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2011, जो 28 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 585(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन नियम, 2011, जो 9 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 612(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2010, जो 21 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 151 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2010, जो 21 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 152 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2010, जो 21 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 153 में प्रकाशित हुए थे।

(10) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी गाँधीनगर, अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी गाँधीनगर, अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, सूरत के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, सूरत के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, सूरत के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जालंधर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जालंधर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी हजरतबल, श्रीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी हजरतबल, श्रीनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, हमीरपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, हमीरपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यूटी ऑफ दमन एण्ड दीव, सिलवासा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यूटी ऑफ दमन एण्ड दीव, सिलवासा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गाँधीनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गाँधीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) गुजरात महिला समाख्या सोसायटी, अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात महिला समाख्या सोसायटी, अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यूईई मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यूईई मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यूईई मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यूईई मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद्, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद्, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) राजीव गांधी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलांग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलांग के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) गुजरात महिला समाख्या सोसायटी, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात महिला समाख्या सोसायटी, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) केरल महिला समाख्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल महिला समाख्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) स्टेट मिशन अथॉरिटी सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट मिशन अथॉरिटी सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलकत्ता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलकत्ता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) बिहार महिला समाख्या सोसायटी, पटना के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार महिला समाख्या सोसायटी, पटना के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी ऑफ केरल (सर्व शिक्षा अभियान), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) (एक) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसाइटी, रायपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसाइटी, रायपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) (एक) उत्तराखंड महिला समाख्या सोसाइटी, देहरादून के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखंड महिला समाख्या सोसाइटी, देहरादून के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) उत्तराखंड महिला समाख्या सोसाइटी, देहरादून के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखंड महिला समाख्या सोसाइटी, देहरादून के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) उपर्युक्त (76) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) (एक) केरल महिला समाख्या सोसाइटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल महिला समाख्या सोसाइटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) (एक) दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र सर्व शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र सर्व शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(91) उपर्युक्त (90) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(93) उपर्युक्त (92) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) उपर्युक्त (94) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (सन्नियम और प्रक्रिया की मान्यता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010 जो 26 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 51-1/2009/एनसीटीई(एनएंडएस) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना सं॰ एफ 28-11/2011-ईई-10 जो 28 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.5.2011 के आदेश सं॰ एसएलपी(सी) सं॰ 4247 और 4248/2011 के आदेशों के अनुसरण में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) जे॰एस॰ वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग के गठन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1548(अ) जो 7 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को 7.7.2011 से 6 महीने की अवधि तक के लिए अधिक्रमित किया गया है।

(चार) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रादेशिक समिति के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनका कार्यकाल तथा संदेय भत्ता) पहला संशोधन विनियम, 2011 जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ 51-1/2009-एनसीटीई (एनएंडएस) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अधिसूचना सं॰ एफ 47-49/2009/एनसीटीई/सीडीएन जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पूर्वी प्रादेशिक समिति को समाप्त किए जाने तथा प्रो॰ मनमथा कुंडु के नामनिर्देशन के बारे में है।

(97) उपर्युक्त (96) की मद सं॰ (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलाजी, रांची के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलाजी, रांची के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) उपर्युक्त (99) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(101) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग-एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) उपर्युक्त (101) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(103) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, यूईई मिशन, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, यूईई मिशन, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) उपर्युक्त (103) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, यूईई मिशन, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, यूईई मिशन, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) उपर्युक्त (105) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(107) (एक) इंग्लिश एंड फॉरेन लेंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंग्लिश एंड फॉरेन लेंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) उपर्युक्त (107) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(109) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(110) उपर्युक्त (109) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(111) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) उपर्युक्त (111) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(113) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(114) उपर्युक्त (113) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(115) (एक) इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(116) उपर्युक्त (115) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(117) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(118) उपर्युक्त (117) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(119) नागालैंड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(120) उपर्युक्त (119) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(121) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन दिया जाना) विनियम, 2010 जो 10 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 37-3/लीगल/2011 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 3 जून, 2011 की अधिसूचना सं॰ 37-3/लीगल/एआईसीटीई/2011 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(122) उपर्युक्त (121) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(123) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 85/2011-सीमाशुल्क जो दिनांक 6 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 6 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना सं॰ 107/2008-सीमाशुल्क का अधिक्रमण करना है जिससे कि 6 अक्तूबर, 2008 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं॰ 107/2008-सीमाशुल्क के दायरे में पहले से आने वाले विशिष्ट माल पर छूट को जारी रखा जा सके तथा इस छूट को मूल की नियमावली को पूरा करने के अध्यधीन, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार (साफटा) के अंतर्गत सार्क के अल्पतम विकसित सदस्य देशों से आयात किए जाने पर कुछ अतिरिक्त माल पर भी देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(124) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी भारतीय स्टेट बैंक वाणिज्यिक एवं इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड का अर्जन आदेश, 2011 जो 29 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 590(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(125) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल शेडयूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(126) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(127) उपर्युक्त (126) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(128) आईटीआई लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(129) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (चौथा संशोधन) विनियम, 2011 जो 28 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 305-17/2010-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (संशोधन) विनियम, 2011 जो 7 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 322-8/2010-सीए में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (पांचवां संशोधन) विनियम, 2011 जो 18 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 305-17/2010-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (संशोधन) विनियम, 2011 जो 14 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 305-17/2010-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 जो 14 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 305-17/2010-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(छह) संचार ग्राहक अधिमान (तीसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 31 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 305-17/2010-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(सात) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान विनियम, 2011 जो 1 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 305-17/2010-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(130) उपर्युक्त (129) की मद सं॰ (चार), (छह) और (सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि अपनी 6 सितंबर, 2011 को हुई बैठक में राज्य सभा श्रीमती जयंती नटराजन द्वारा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने तथा श्री सीताराम येचुरी की राज्य सभा की सदस्यता से सेवानिवृत्ति के कारण संयुक्त समिति में उत्पन्न हुई रिक्तियों पर संयुक्त समिति में दो सदस्यों को नियुक्त करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम सूचित किए जिन्हें रिक्तियों को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति के लिए विधिवत् रूप से नियुक्त किया गया है:—

1. डॉ॰ ई॰ एम॰ सुदर्शन नाचीयप्पन
2. श्री सीताराम येचुरी

6. अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

1.	श्री ए॰ राजा	2.12.2010 से 13.12.2010 और 21.2.2011 से 25.3.2011 और 1.8.2011 से 14.8.2011	स्वीकृत
2.	श्रीमती सोनिया गांधी	1.8.2011 से 31.8.2011	स्वीकृत
3.	श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर	1.8.2011 से 8.9.2011	स्वीकृत
4.	श्री सुरेश कलमाडी	1.8.2011 से 8.9.2011	स्वीकृत

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

श्री प्रबोध पांडा ने चालू सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 17वीं से 21वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

8. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

डॉ॰ बलीराम ने 5 सितम्बर, 2011 को हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बिरेन सिंह इंग्ती ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) दक्षिण-पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन के बारे में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 14वां प्रतिवेदन।

(2) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन के बारे में भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 10वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 15वां प्रतिवेदन।

10. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती चंद्रेश कुमारी ने 'आशा (एएसएचए) की कार्य दशा' विषय पर समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. याचिका का प्रस्तुतीकरण

श्री बसुदेव आचार्य ने फरक्का बैराज एवं अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित समस्याओं के बारे में श्री पी॰ चक्रवर्ती एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत की।

12. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05), (2006-07), (2007-08), (2008-09) और (2010-11) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: पहले, 14वें, 19वें, 31वें और 43वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने (i) ''परमाणु संयंत्रों की स्थापना'' के बारे में श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वर, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 636 के 03.08.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने (अंग्रेजी संस्करण) और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष, स्वास्थ्य अनुसंधान और एड्स नियंत्रण विभागों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 39वें, 40वें, 41वें और 42वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.37 बजे

13. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

(एक) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011

(दो) परमाणुवीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011

अपराह्न 12.39 बजे

14. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेरटा रोड रेलवे स्टेशन और मेरटा शहर के बीच एक डीएमयू ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री ईज्यराज सिंह द्वारा देश में घटिया किस्म के बीजों की बिक्री को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एम॰आई॰ शाहनवास द्वारा केरल में नीलांबुर रोड और तिरूअनंतपुरम के बीच राज्यरानी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली द्वारा भारतीय रेल की 'एसएमएस पर रेल जानकारी' सेवा को नि:शुल्क किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एक पॉली क्लिनिक खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री पी॰टी॰ थॉमस द्वारा केरल में अंगमाली-सबरी रेल लाईन के निर्माण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री पी॰एल॰ पुनिया द्वारा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए बहु-क्षेत्रक जिला विकास योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री एंटो एंटोनी द्वारा देश में, विशेष रूप से केरल में निजी बीमा कंपनियों की शाखाओं को बंद किए जाने से बचाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री के॰डी॰ देशमुख द्वारा मध्य प्रदेश में बालाघाट और सिओनी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किए जाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा शिप-ब्रेकिंग उद्योग पर सीमा शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर छावनी क्षेत्र में किसानों को कृषि भूमि का स्वामित्व दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उत्तर प्रदेश के भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीता समाहित स्थल, सीतामढ़ी को वाराणसी और इलाहाबाद से जोड़ते हुए एक पर्यटक सर्किट का सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा बिहार में किसानों को यूरिया और अमोनियम सल्फेट उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एम॰ आनंदन द्वारा तमिलनाडु में विलुपुरम अथवा पुडुचेरी में सहायक श्रम आयुक्त और ईपीएफओ के कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार में छपरा और मुजफ्फरपुर में पुलों को चौड़ा करने और सड़कों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री मधु कोड़ा द्वारा साई नगर-शिरडी-हावड़ा एक्सप्रेस (ट्रेन सं॰ 12573/12574) तथा लोकमान्य तिलक (टी)-कामाख्या कर्मभूमि एक्सप्रेस (ट्रेन सं॰ 15611/15612) का झारखण्ड में चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.40 बजे

15. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

गृह मंत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निकट हुए बम विस्फोट के बारे में वक्तव्य दिया।

गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर निम्नलिखित सदस्यों ने निवेदन किए:—

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. श्री बसुदेव आचार्य
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री शरद यादव

सभा की भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय उपाध्यक्ष ने लोक सभा को पूरे दिन के लिए स्थगित किया।

अपराह्न 12.56 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 8 *सितम्बर,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

टी॰के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—1875LS—07.09.2011.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 8 सितम्बर, 2011/17 भाद्रपद, 1933 (शक)

संख्या 184

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 501 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 502—520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5751—5980 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 6(1)/2011-केवी I-II जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग

की पुन: स्थापना होने तक खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त के नाम से एक प्राधिकारी के पद का गठन किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1700(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त का प्रभार श्री जे॰एस॰ मिश्रा, सीईओ को सौंपे जाने संबंधी आदेश के बारे में है।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1402(अ) जो 16 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खरीफ, 2011 के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति को दर्शाने वाले आदेश के बारे में है।

(दो) उर्वरक (आवाजाही नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2010 जो 16 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1684(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(7) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 17 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1678(अ) जो 21 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अमोनियम नाइट्रेट को एक विस्फोटक घोषित करने के लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 में संशोधन किए जाने के बारे में है।

(8) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत फ्रेश, फ्रोजन और प्रोसेस्ड मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण और अनुश्रवण) संशोधन नियम, 2011 जो 21 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 143(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) रेल लैण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल लैण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय नागर विमानन की निष्पादन लेखापरीक्षा, नागर विमानन मंत्रालय के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2011-12 का संख्यांक 18)—संघ सरकार (सिविल)।

(दो) हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन शेयरिंग कांट्रेक्ट्स की निष्पादन लेखापरीक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2011-12 का संख्यांक 19)—संघ सरकार (सिविल)।

(तीन) मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वायुसेना और नौसेना के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2011-12 का संख्यांक 20)-(रक्षा सेवाएं)।

(12) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के 100 वर्ष" के अवसर पर सौ रुपए और पांच रुपए के सिक्के का निर्माण नियम, 2011 जो 17 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 626 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 541 (अ) जो 18 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 23/2006-के॰उ॰शु॰ (एनटी) का अधिक्रमण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 542 (अ) जो 18 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-के॰उ॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 14 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 533 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 78 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का॰आ॰ 591 (अ) जो 18 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 फरवरी, 1957 की अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 355 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 447 (अ) जो 28 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 01.04.2011 से प्रभावी अनुसूची छह के संशोधन के बारे में है।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 223 (अ) जो 18 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चयनात्मक उपबंधों में क्षेत्रीय निदेशकों को शक्तियों और कार्यों के प्रत्यायोजन के बारे में है।

(छह) सा॰का॰नि॰ 222 (अ) जो 18 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें उल्लिखित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कंपनी पंजीयकों को शक्तियों और कार्यों के प्रत्यायोजन के बारे में है।

(सात) कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) संशोधन नियम, 2011 जो 26 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 258 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 26 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 259 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) संशोधन नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 289 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) का॰आ॰ 653 (अ) जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 447 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) निदेशक के संबंधी (लाभ का पद अथवा स्थान) संशोधन नियम, 2011 जो 6 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 303 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 7 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 514 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कंपनी निदेशक पहचान संख्या (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 507 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) कंपनी निदेशक पहचान संख्या (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 2 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 427 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 408 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) निदेशक के संबंधी (लाभ का पद अथवा स्थान) नियम, 2011 जो 2 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 407 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) कंपनी (डाक बैलट द्वारा संकल्प का पारित किया जाना) (संशोधन) नियम, 2011 जो 30 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचा संख्या सा॰का॰नि॰ 419 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) कंपनी (लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2011 जो 11 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 378 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 351 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(19) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 506(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमित दायित्व भागीदारी (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 15 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 914(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 534 (अ) जो 14 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 13 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा॰का॰नि॰ 396 (अ) जो 23 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 13 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 70 (अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 13 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 326 (अ) जो 18 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 517 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ॰ संख्या 9/1/2011-सीएल-V जिसके द्वारा 7 जनवरी, 1957 की अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 355 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन* के शुद्धिपत्र की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

(24) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) वर्ष 2009-2010 के लिए सात संस्थानों, 2007-2008 से 2009-2010 तक के लिए चार संस्थानों, 2004-2005 से 2009-2010 के लिए एक संस्थान और 2008-2009 तथा 2009-2010 के लिए एक संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष के समाप्त होने के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1142 (अ) जो 20 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 950 (अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए खुर्दा, भुवनेश्वर में जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

---

*वार्षिक प्रतिवेदन की-गई-कार्यवाही ज्ञापन के साथ 11.08.2011 को सभा पटल पर रखा गया।

(तीन) का०आ० 951 (अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए सिलीगुड़ी में वरिष्ठतम अपर-जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(चार) का०आ० 952 (अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय, सिटी सत्र न्यायालय , कलकत्ता को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(पांच) का०आ० 953 (अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए पोर्ट ब्लेयर में जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(छह) का०आ० 1454 (अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए न्यायाधीशों माननीय श्री यतीन दत्तात्रेय शिंदे तथा संजय आनंदराव देशमुख की अध्यक्षता में क्रमश: सिटी सिविल और सत्र न्यायालयों बाम्बे को अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(सात) का०आ० 1455 (अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए माननीय श्री प्रदीप पंत, तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, देहरादून की अध्यक्षता में जिला और सत्र न्यायालय, देहरादून को अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(आठ) का०आ० 1456(अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए नार्थ गोवा में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(नौ) का०आ० 1457(अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए सिलवासा में दादर और नागर हवेली में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1458(अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए दीव में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1459(अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए दमण में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 787(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए स्पेशल कोर्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो केसेज, जयपुर को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 788(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के तृतीय वरिष्ठतम न्यायालय, लखनऊ को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1965(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य के राज्यक्षेत्र में जांच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षा न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित तीन अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 1966(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के राज्यक्षेत्र में जाँच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित दो अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 1967(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के राज्यक्षेत्र में जांच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण

न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित एक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1968(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्र में जाँच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित दो अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 1969(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य के राज्यक्षेत्र में जाँच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित एक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 1970(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यक्षेत्र में जाँच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित एक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 1971(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में जाँच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित एक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में है।

5.वित्तीय समितियां (2010-11)—एक समीक्षा

महासचिव ने ''वित्तीय समितियां (2010-2011)—एक समीक्षा'' की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को 25 अगस्त, 2011 को लोक सभा द्वारा पारित सीमा शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री बिरेन सिंह इंग्ती ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) ''भारतीय रिजर्व बैंक—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई ऋण सुविधाएं'' के संबंध में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार का अन्तिम की गई कार्यवाही विवरण।

(2) ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग—इसका अधिदेश और उपलब्धियां—इसके गठन और कार्यकरण की समीक्षा'' के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार का अन्तिम की गई कार्यवाही विवरण।

(3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अक्तूबर, 2010 में मुम्बई, नासिक और गोवा दौरे के बारे में समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

(1) ग्रामीण विकास मंत्री और पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) विदेश मंत्री ने ''प्रधान मंत्री की 6 और 7 सितम्बर, 2011 को ढाका, बांग्लादेश की यात्रा'' के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011

*अपराह्न 12.05 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:–

(1) श्री एस॰ अलागिरी द्वारा मईलादुतुरई और बंगलौर के बीच नई रेल सेवा शुरू किए जाने तथा बंगलौर–सेलम ट्रेन सं॰ 56513/56514 को आगे तमिलनाडु में नागौर तक चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत बनाई गई सड़कों के नामों को न बदलने के लिए मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को कड़े दिशानिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में बागडोगरा हवाई अड्डे पर विमानों को रात्रि में उतारे जाने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा इसके विकास के लिए मास्टर प्लान को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के रेल कोच फैक्टरी, रायबरेली की अनुषंगी इकाईयां फैजाबाद जिले में स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कोल्लम जिले में काजू बोर्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री विजय बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में भू–स्खलन और भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों और अनुर्वर हुई भूमि के लिए प्रतिपूर्ति की राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री कमल किशोर कमांडो द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराईच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गाय घाट और कैलाशपुरी में रेलवे हाल्ट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.08 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(8) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में नेशनल लॉ स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया बौद्ध स्तूप स्थल का विकास किए जाने तथा इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा इसे अन्य बौद्ध स्थलों से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार के गया में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उन्हें पर्याप्त प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन द्वारा मदुरै और नागरकोईल तथा त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच दोहरी रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती भावना गवली पाटील सुर्वे द्वारा महाराष्ट्र के यवतमाल–वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में देश के अन्य भागों के साथ बेहतर संपर्क मुहैया कराने के लिए रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ अजय कुमार द्वारा जमशेदपुर, झारखण्ड में टाटानगर से रात्रि रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.08 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.55 *बजे पुन: समवेत हुई*)

अपराह्न 12.55 बजे

11. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 15वीं लोक सभा के आठवें सत्र के समापन पर विदाई उल्लेख किया।

अपराह्न 1.05 बजे

12. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 1.07 बजे

(*लोक सभा अपराह्न* 1.07 *बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई*)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—1898LS—08.09.2011.